C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXI, Tenth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 14, Monday, December 05, 2016/Agrahayana 14, 1938 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	12-39
*Starred Question Nos. 261 to 264	
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 265 to 280	40-96
Unstarred Question Nos. 2991 to 3220	97-349

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

FELICITATIONS BY THE SPEAKER

Congratulations to Indian Women Cricket Team on winning Asia Cup Title 550

PAPERS LAID ON THE TABLE 552-560

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL

25th Report 561

STATEMENTS BY MINISTERS 562-563

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 125th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2016-17) (Demand No.11), pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 562

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 124th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on observations/recommendations contained in the 119th Report of the Committee on 'Rubber Industry in India', pertaining to the Ministry of Commerce and Industry 562

Shrimati Nirmala Sitharaman

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 232nd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Tourism

Dr. Mahesh Sharma 563

ELECTION TO COMMITTEE

Council of National Institutes of Technology, Science Education and Research 564-565

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Impact of demonetisation of 500 and 1000 currency notes 566-577

MATTERS UNDER RULE 377 593-615

(i) Need to grow and use mosquito-eating fish and frogs to control vector-borne diseases in the country

Shri Rajendra Agrawal 594

(ii) Need to include Madan Mohan Mandir, Karauli, Rajasthan in Krishna circuit

Dr. Manoj Rajoria 595

(iii) Need to appoint medical staff in the hospital in village Bakhri in East Champaran district, Bihar

Shrimati Rama Devi 596

(iv) Need to promote organ donation in the country

Shrimati Meenakashi Lekhi 597

(v) Need to reimburse the amount of scholarship paid to students belonging to backward classes in Maharashtra

Shri Gopal Shetty 598

(vi) Need to regularise the services of Para-teachers in Jharkhand and also enhance their honorarium including BRP and CRP teachers in the State

Shri Sunil Kumar Singh 599-600

(vii) Need to upgrade railway stations in Jalgaon Parliamentary Constituency as model railway stations

Shri A.T. Nana Patil 601

(viii) Need to provide necessary and adequate resources to trainee Archers of Shivtarai village, Kota Tehsil, Bilaspur district in Chhattisgarh

Shri Lakhan Lal Sahu 602

(ix) Need to set up a 'Rashtriya Sanskritik Ved Shodh Evam Adhyyan Kendra' as well as a branch of Rashtriya Sanskrit Shiksha Sansathan and Banaras Hindu Vishwavidylaya in Buxar, Bihar

Shri Ashwini Kumar Choubey 603

(x) Need to address the problem of unemployment in the country

Shri Harish Meena 604

(xi) Need to set up a separate Ministry for Fisheries and Fishermen Welfare

Shri Ajay Nishad 605

(xii) Need to provide financial support to the artisans of Balaramapuram in Kerala

Dr. Shashi Tharoor 606

(xiii) Need to evolve a strategy to curb pollution level

Shri Mullappally Ramachandran 607

(xiv) Need to set up a Sanskrit University at Khanakul in Arambag Parliamentary Constituency of West Bengal

Shrimati Aparupa Poddar 608

(xv) Regarding rising level of air pollution in the Country

Shri Dinesh Trivedi 609

(xvi) Need to permit diversion of forest land to State Government PSUs in lieu of afforestation in twice the degraded land as applicable to Central PSUs

Shri Nagendra Kumar Pradhan 610

(xvii) Need to provide rehabilitation package to farmers of Nhava and Sheva villages affected by Jawahar Lal Nehru Port Trust, Mumbai

Shri Shrirang Appa Barne 611

(xviii) Need to review the Employees' Pension Scheme, 1995

Shri P. Srinivasa Reddy 612-613

(xix) Regarding proposed speciality health services in Lakshadweep

Mohammed Faizal 614

(xx) Need to give recognition to four-year integrated B.A., B.Ed./B.Sc., B.Ed. programme of Central University of South Bihar by National Council of Teacher Education

Shri Rajesh Ranjan 615

DISCUSSION UNDER RULE-193

Demonetisation of currency notes to weed out black money

Shri A.P. Jithender Reddy 617-618

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 619

Member-wise Index to Unstarred Questions 620-625

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 626

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 627

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, December 05, 2016/Agrahayana 14, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

HON. SPEAKER: Q.261.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, एडजोर्नमेंट मोशन के तहत डिमोनेटाइजेशन पर चर्चा करने के लिए हमने नोटिस दिया है। इसके अलावा आपके कहने पर इसमें बदलाव करके रूल-184 के तहत चर्चा करने का आपको हमने नोटिस दिया है। जब हम रूल-56 के तहत चर्चा की मांग छोड़ कर रूल-184 के तहत चर्चा करने के लिए मान गए हैं, तो सरकार को भी नियम 193 के तहत चर्चा की बात को छोड़ कर रूल-184 के तहत चर्चा की मांग को मान लेना चाहिए, क्योंकि देश हित में हम इस बात को मान रहे हैं।

महोदया, मैं आपसे विनती करता हूं कि यह चर्चा रूल-184 के अंतर्गत शुरू कीजिए। हमारी पन्द्रह दिनों से कोशिश चल रही है कि किसी न किसी ढंग से चर्चा शुरू हो जानी चाहिए।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, what we have seen in today's List of Business is that the subject of demonetization has been listed for discussion under Rule 193. All the Opposition Parties together made a fervent appeal to you as also the Government for taking up this discussion under Rule 56. Today, the Congress Party has given notice for discussion under Rule 184. My submission is that if the discussion cannot take place under Rule 56 for which I have given notice, I am prepared to withdraw my notice if you accept the discussion under Rule 184. Let this discussion take place. Please do not create pressure for discussion under Rule 193. The Government has brute majority on the floor of the House. I do not know why they are evading discussion and voting. What is wrong in it? It has never been clarified properly.

My fervent appeal would be that let the floor be honoured properly by having voting with your consent and with the consent and support of the Government.

HON. SPEAKER: Jai Prakashji and Karunakaranji, both of you want to say the same thing.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): We are ready to have discussion under Rule 184 instead of Rule 56. Therefore, the Government should concede this.

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): महोदया, खड़गे जी बहस चाहते हैं, सुदीप जी भी बहस चाहते हैं, करुणाकरण जी भी बहस चाहते हैं और इस तरफ की भी सभी पार्टियां पहले दिन से आर्थिक सुधार के विषय पर बहस चाहती हैं। विपक्ष ने पहले एडजर्नमेंट मोशन देकर रूल-56 के तहत चर्चा की मांग की थी और अब रूल-184 के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बहुत-सी पार्टियों ने नियम-193 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिया है।

मेरा इतना ही निवेदन है कि इस बात को प्रेस्टीज इश्यु न बनाया जाए और मत विभाजन न हो तथा एक सुर से संसद से काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई जाए।…(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदया, हम भी काले धन के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार मतदान से क्यों भाग रही है?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : काले धन के विषय पर चर्चा में मतदान की क्या बात है?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप हल्ला मत कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : महोदया, भृर्तहरि महताब जी और जितेन्द्र रेड्डी जी यानी टी.आर.एस. और बी.जे.डी. ने रूल-193 के तहत चर्चा का नोटिस दिया है, यानी ब्लैक मनी विड-आउट करने के लिए जो डिमोनेटाइजेशन का निर्णय किया है, उसके ऊपर नियम-193 के अंतर्गत चर्चा शुरू की जाए। यदि आप चाहेंगे और अनुमति देंगे तो, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि प्रश्न काल को भी स्थगित करके रूल 193 के तहत या बिना किसी रूल के भी अभी से आप चर्चा शुरू करें।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठ जाइए। बार-बार एक ही बात नहीं होनी चाहिए।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, हम बार-बार नहीं बोल रहे हैं। यह 15 दिन से चल रहा है।…(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदया, हम लोग बहस से नहीं भाग रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आप सभी लोगों को कहा था। There are so many parties, जिन पार्टियों ने रूल 193 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिया है, वे सत्तारूढ़ पार्टियां नहीं हैं। वे पार्टियां, जो मेरे पास रूल 193 के तहत चर्चा का प्रपोजल लेकर आयी थीं, वे भी बोल रहे हैं कि क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? They also have their voices. I have said, let it be. I am ready today and that day also I said I am ready. मैं आज भी सब कुछ छोड़कर If you want just now without any rule.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : बिना किसी नियम के भी आप तुरन्त चर्चा शुरू कर सकते हैं। Just now also I am ready without any rule, if you want. Why are you asking for some rule? आप लोग तुरन्त चर्चा शुरू करें।

… (*Interruptions*)

11.06 hours

(*At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Anto Antony and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

<u>11.06 ½ hours</u>

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 261, Shri P. Srinivasa Reddy.

… (*Interruptions*)

(Q. 261)

SHRI P. SRINIVASA REDDY : Madam Speaker, the hon. Minister has given a very elaborate reply and I thank him for that … (*Interruptions*)

Oil PSUs are laying their own infrastructure and many stretches are in parallel routes which can be avoided with the help of a strategic plan and thereby the country can save a lot of investment. … (*Interruptions*) I would like to know from the hon. Minister how much percentage of the pipeline infrastructure is commonly used by them in order to facilitate optimum utilisation of existing network which may help in averting the adulteration of the petroleum products? … (*Interruptions*)

SHRI PIYUSH GOYAL: I would like to thank the hon. Member for his kind comments. I would like to assure the hon. Member through you that all the pipelines that have been laid for petroleum products, LPG are inter-operable and inter-usable… (*Interruptions*) In fact, if you see the details of the projects in pipelines, under the Joint Investment Model 9070 kilometres have been identified. Under Product Exchange Basis, 2869 kilometres have been identified and on stand alone only 2941 kilometres have been identified. So, by and large, the approach is that they can all use each other. … (*Interruptions*) and there is inter company leverage on the elaborate network that we have created and there is no problem that one pipeline only one company can use. We allow inter-operability… (*Interruptions*)

SHRI P. SRINIVASA REDDY : Madam, in our country most of the refineries are in landlocked areas which are quite distant from the demand centres which forced

us to think about the role of pipelines which is very critical in ensuring reliable supply chain of petroleum products in every nook and corner of the country… (*Interruptions*) So far, the finished products are being transported by road with tankers which is facilitating and providing an ample opportunity for product adulteration… (*Interruptions*)

So, Madam, I would like to know from the hon. Minister as to what measures the Government have taken to ensure adulteration free supplies; and also would like to know from the hon. Minister… (*Interruptions*) that in the wake of hon. Prime Minister's ambitious Ujjwala Scheme, the growth in LPG demand is expected to increase at a much steeper rate in the country and such a demand is possible to be met through pipeline supply only… (*Interruptions*) To fulfil the obligation rapid pipeline laying work is necessary. I would like to know whether the Government is allowing private players and FDI in Oil Pipeline network to be laid and maintained… (*Interruptions*)

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, I am very happy about the suggestion which the hon. Member has made.

I fully support and endorse the view that pipeline is the most efficient way to transport petroleum and oil products. … (*Interruptions*) In fact, if one looks at the long term perspective plan, as against pipelines handling 35.9 per cent of the product pipelines in the year 2015-16, by the year 2029-30, it is planned to increase this transportation by pipelines to 62.7 per cent. … (*Interruptions*) It is almost doubling the percentage of petroleum products being handled by pipelines. You will be happy to know that road transport only accounts for 1.4 per cent of the total petroleum products and going forward in the next 20 years, it will further reduce to 0.6 per cent. … (*Interruptions*) So, we are very conscious and we are very happy that he has brought out this point.

As regards private companies, in India, there is complete freedom to invest and bring FDI in petroleum sector. … (*Interruptions*) Any proposals are considered on the merits of the case. … (*Interruptions*)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : अध्यक्ष महोदया, देश भर के विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में पाइप लाइन डालने का काम होता है। ...(व्यवधान) मेरे चुनाव क्षेत्र में यह काम सबसे ज्यादा होता है। मंत्री जी उरण में ओ.एन.जी.सी. का सबसे बड़ा प्लान्ट है। मेरा प्रश्न पाइप लाइन डालने से संबंधित है। ...(व्यवधान) वहां जब पाइप लाइन डालने का काम होता है तो किसानों की जमीनें अधिग्रहित की जाती हैं। वहां किसानों को विश्वास में न लेकर, उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है, जिसकी वजह से यह काम रूका हुआ है। भारत सरकार की एच.बी.सी.एल. और रिलायंस कंपनी का काम किसानों ने रुकवाया है। ...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानो की जमीनों के अधिग्रहण के लिए किसानों के साथ बातचीत की जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देकर उनकी जमीनें ली जाएं।...(व्यवधान) इससे किसानों की जमीन के अधिग्रहण में किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन जमीनों पर कुछ नहीं होता है, न उन पर मकान बना सकते हैं और न कोई दूसरा काम कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि जो पाइप लाइन डालने का भारत सरकार का उपक्रम है, क्या वह ऐसा करने से पहले किसानों को विश्वास में ले सकता है?...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदया, भारत सरकार प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति बहुत संवेदना रखती है और किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।...(व्यवधान) जहां तक किसानों की जमीन लेने की बात है, कुछ जमीन पी.एम.पी. एक्ट के तहत ली जाती है और कम्पैनसेशन पी.एम.पी. एक्ट के द्वारा ही दिया जा सकता है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य एप्रिशिएट करेंगे कि सरकारी कंपनियां एक कानूनी दायरे के बाहर नहीं जा सकतीं। अगर वे कानूनी दायरे के बाहर जायेंगी तो कल सवाल उठेंगे कि आपने किसी का कम और किसी का ज्यादा कम्पैनसेशन कैसे तय किया।...(व्यवधान) उसके तहत अगर किसानों की कोई समस्या है तो सरकार उसे उनके साथ तुरंत बातचीत करके सुलझाने के लिए तैयार है।

(Q.262)

श्री सुभाष पटेल : अध्यक्ष महोदया, आपने लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि ओ.एम.सी., एम.आर.पी.एल., एन.आर.एल. के अलावा रिलायंस, एस्सार और शैल को दस हजार पैट्रोल पम्प खोलने के लाइसेंस सरकार ने दिये थे, लेकिन ओ.एम.सी.जी., एन.आर.एल. और एम.आर.पी.एल. ने बहुत ही कम पैट्रोल पम्प्स खोले हैं? रिलायंस, शैल तथा एस्सार ने जो पैट्रोल पम्प्स खोले हैं, उनमें से अधिकांश बंद हो गये हैं। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बंद पड़े पैट्रोल पम्प्स हैं, क्या सरकार की उन्हें प्रारम्भ करने की कोई योजना है?...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदया, जहां तक निजी क्षेत्र के पैट्रोल पम्प्स का संबंध है, उन्हें खोलना या बंद करना उनका निजी निर्णय है। भारत सरकार ने अब पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी का सिलसिला बंद कर दिया है।...(व्यवधान) आज पैट्रोल और डीजल की बिक्री में पूरा दाम मिलता है तो वास्तव में आज निजी क्षेत्र को अपने पैट्रोल पम्प्स को शुरू करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसमें सरकार कोई दखलंदाजी नहीं देती है, यह उनका निजी निर्णय है। ...(व्यवधान) परंतु जो योजनाएं बनती हैं और जो ओ.एम.सी.जी. के नये पैट्रोल पम्प्स बनाने की बात है। उसमें इसको एडवरटाइज किया जाता है और जो रेस्पांस मिलते हैं, उसके हिसाब से तय करके अलॉट किये जाते हैं।...(व्यवधान)

श्री सुभाष पटेल : महोदया, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा देश में आदिवासी बहुल जिलों में कितने पेट्रोल पम्प आवंटित किए गए हैं?...(व्यवधान) क्या सरकार आदिवासी बहुल आबादी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर भी सरकारी और निजी कम्पनियों द्वारा क्षेत्रवार पेट्रोल पम्प खोलने हेतु नियम में कुछ सकारात्मक बदलाव कर रही है?...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी मुझे यह भी बतायें कि ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पम्पों को, चाहे वे एन.एच. पर स्थित पेट्रोल पम्प हों, उन्हें व्यवस्थित करने के लिए, जैसे केएनपी लगाने की क्या कोई योजना है?...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदया, आदिवासी क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प लगें, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।...(व्यवधान) जो अभी तक ओएमसीज ने पेट्रोल पम्प लगाये हैं, उनमें जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन कोटा है, उनके एरियाज के लिए, उसके हिसाब से पूरी कार्रवाई की जाती है।...(व्यवधान) लेकिन जमीन उपलब्ध होना, उपयुक्त जमीन उपलब्ध होना, सही जगह पर जमीन उपलब्ध होना, जिससे उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी सुनिश्चित हो, उसके हिसाब से निर्णय लिये जाते

हैं।...(व्यवधान) अगर किसी आदिवासी क्षेत्र में किसी को जानकारी हो कि वहाँ पेट्रोल पम्प की सख्त आवश्यकता है और वहाँ तकलीफ हो तो सरकार उस पर पूरे तरीके से कार्रवाई करने के लिए तैयार है।...(व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में अभी उन्होंने जिक्र किया है कि उनको रिजर्वेशन के तरीके से उनके एडवरटाइजमेंट में कोटा दिया जाता है।...(व्यवधान) मगर वहाँ एक कंडीशन एप्लाई होती है कि अवेलबिलिटी ऑफ जमीन के हिसाब से उनको दिया जायेगा।...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो पहले नीति थी, कम्पनी जमीन खुद खरीदती थी और उस जमीन पर पेट्रोल पम्प बनाकर देती थी।...(व्यवधान) क्या उस नीति को सरकार चालू रखेगी?...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदया, आदिवासी क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण में काफी रैस्ट्रिक्शंस हैं।...(व्यवधान) हम चाहते हैं कि उनका सम्मान हो, उनकी सहमति से ही जमीन ली जाये,...(व्यवधान) इसलिए सरकार इस जमीन को खरीदने के बदले स्वेच्छा से जो जमीन देना चाहे, उसको एन्करेज करती है।...(व्यवधान)

(Q.263)

श्री चंदूलाल साहू : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।...(व्यवधान) शिक्षा विकास की रीढ़ है और हमारा भारत देश शुरू से ज्ञान-विज्ञान, कला, दर्शन आदि क्षेत्रों में अग्रणी रहा है।...(व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश इस ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी हो, क्या वे शिक्षा में ऐसा कोई गुणात्मक सुधार लाना चाहते हैं?...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, भारत सरकार की कोशिश यह है कि प्रधान मंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किये गये हैं।...(व्यवधान) पहला तो यह है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का जितना आवंटन था, उसे लगभग तीन गुना बढ़ाया है।...(व्यवधान) दूसरा यह है कि हमने एक हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी तैयार की है कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उच्च शिक्षा में हो, उसके लिए 20 हजार करोड़ रूपये कैसे उपलब्ध हों।...(व्यवधान) एक हजार करोड़ रूपये का आश्वासन बजट में वित्त मंत्री जी ने दिया था, उसे हम लागू करने जा रहे हैं।...(व्यवधान) उसके द्वारा मार्केट बान्ड्स निकालकर लिवरेज करके पैसे उसको मिलेंगे तो ये दोनों तरफ से पैसे उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा मिलेंगे।...(व्यवधान) गुणवत्ता सुधार के लिए शोध और अनुसन्धान ज्यादा कैसे बढ़े, इसके लिए बहुत सारे इनीशिएटिव्स लिये गये हैं।...(व्यवधान) अच्छे विदेशी प्राध्यापक यहां आकर दो सप्ताह अपना कोर्स सिखाएं। ...(व्यवधान) 200 प्राध्यापक पिछले साल आए और 600 प्राध्यापक इस साल आने वाले हैं। ...(व्यवधान) यह हम करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान) गुणवत्ता के सुधार के लिए चहुंमुखी प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आईआईटी कैंपस में स्टार्ट अप की फैसिलिटी, स्टैंड अप की फैसिलिटी, इनक्यूबेशन पार्क्स और उसके साथ-साथ इंडस्ट्री की जो कस्टमाइज्ड रिक्वेस्ट है, उन रिक्वेस्ट्स के आधार पर शोध हो, उसकी भी रचना पूरी हुई है। ...(व्यवधान)

श्री चंदूलाल साहू : डॉ. बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि यदि आधा पेट रोटी खानी पड़े तो खा लें, लेकिन शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। ...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विकसित देशों की तुलना में हमारा शिक्षा मिशन किस स्तर पर है और क्या भारत सरकार वैसी शिक्षा पद्धति के अनुरूप सुधार लाने की कोई योजना बना रही है, ताकि हमारा भारत देश विश्व में एक अलग स्थान बना सके और हम उनसे तुलना कर सकें? ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : यह बहुत लाजिमी सवाल है। ...(व्यवधान) भारत की प्रचण्ड सम्भावनाएं हैं। ...(व्यवधान) आज चार करोड़ छात्र उच्च शिक्षा में शिक्षा ले रहे हैं। ...(व्यवधान) उसके गुणात्मक परिवर्तन के साथ भारत की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग भी बढ़ने वाली है। ...(व्यवधान) इनकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए हम

बहुत प्रयास करते हैं। ...(व्यवधान) हमने बहुत सारी नई योजनाएं तैयार की हैं। ...(व्यवधान) इसमें परसेप्शन का भी वेटेज है और बाकी भी इंस्टीट्यूट्स को ठीक करने के लिए काम हो रहा है। ...(व्यवधान) हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग सही रूप में परिलक्षित हो और हमारी गुणवत्ता सुधरकर यह और बढ़े। ...(व्यवधान) आज मुझे खुशी है कि दुनिया के पहले हजार इंस्टीट्यूट्स में भारत के 34 इंस्टीट्यूट्स आए हैं। ...(व्यवधान) यह संख्या कैसे और बढ़े और उनकी रैंकिंग भी कैसे बढ़े, इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। ...(व्यवधान)

SHRI ANIL SHIROLE : Madam, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has thought about appropriate improvements in accreditation setup … (*Interruptions*) If so, what are the details?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Madam, there is the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) essentially, which assess and accredit institutions of Higher Education… (*Interruptions*) For management and other courses, there is the National Board of Accreditation (NBA) … (*Interruptions*) So, what we are doing is that we are improving the quality and methodology of accreditation across the board. But along with that, we have also appealed to IITs and IIMs to become accreditation agencies because there will be choice. We have 46,000 colleges and nearly 800 universities… (*Interruptions*) To complete their accreditation in time, we are increasing the number of agencies so that there will be faster, qualitative and competitive accreditation… (*Interruptions*)

Therefore, the institutes will also have choice, and it will be a competition for the best… (*Interruptions*)

SHRI PREM DAS RAI : Madam Speaker, I congratulate the hon. Minister for a very good and solid reply on Higher Education and how the Government is taking this forward… (*Interruptions*)

My question relates to the North-Eastern States. Now, a Higher Education Financing Agency is being thought of. But all the time, we know that whenever any kind of Financing Agency comes up, then the North-Eastern States actually do not get the benefits… (*Interruptions*)

I would like to understand from the hon. Minister as to how he will ensure that the Higher Education Financing Agency will work in the North-East because

from the North-East, for Higher Education, almost Rs. 1,000 crore goes to the other States. We believe that if more institutions are created in the North-East, then we will be self-sufficient… (*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Madam, the hon. Member, Shri Rai has raised a very valid issue… (*Interruptions*) Let me assure him that we are all focusing on the North-East not only by visiting North-East, but by establishing very good institutes and improving the caliber of those institutes also, which are working there… (*Interruptions*)

ये क्या मोदी-मोदी कह रहे हैं? ...(व्यवधान) ये मोदी-मोदी कह रहे हैं क्या? ...(व्यवधान) ये मोदी-मोदी कहने लगें तो अच्छा है, अच्छी चीज है। ...(व्यवधान) मोदी-मोदी कह रहे हो न, तो अच्छी चीज है। ...(व्यवधान)

Madam, coming to the question, let me assure the hon. Member that we will never neglect the North-East… (*Interruptions*) on the other hand, recently, we have equipped three States… (*Interruptions*) We have given money only to the North Eastern, Eastern hilly States and other hilly States like Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and the so called *bimaru* States, which were *bimaru* in earlier regime, now, we want to bring them up.… (*Interruptions*) Therefore, that equipped three States scheme will not go to any other States but to all neglected sectors.… (*Interruptions*) So, the North Eastern States, Eastern States, Andaman and Nicobar, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Odisha are the States on which we are concentrating and North East will get justice. … (*Interruptions*)

(Q. 264)

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विस्तार करने और उन्हें सुगम बनाने का विचार है?...(व्यवधान) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?...(व्यवधान)

SHRI BANDARU DATTATREYA : Madam Speaker, the hon. Member has asked about the coverage of EPFO and ESIC.… (*Interruptions*) Regarding these two schemes I would like to say that both the schemes are social security schemes.… (*Interruptions*) The hon. Prime Minister is lending these schemes to all organized and unorganized workers in a phased manner.… (*Interruptions*) In this respect, the wage ceiling in case of ESCI has increased from Rs. 15,000 to Rs. 21,000.… (*Interruptions*) A draft notification in this respect has been issued on 6/10/2016. This will bring new 30 lakh IPs under ESIC benefit fold.… (*Interruptions*) I am also happy to inform that approximately 4,50,00,000 construction workers are now getting the ESIC facility in a phased manner.… (*Interruptions*)

The hon. Member has very rightly asked a question regarding EPFO workers.… (*Interruptions*) EPFO proposes an enrolment campaign from 1st January, 2017 to 30th June, 2017. We are also increasing the coverage under EPFO from Rs. 15,000 to Rs. 75,000.… (*Interruptions*) The proposal is there. The Sub-Committee of CBIT has approved and we will discuss about this. … (*Interruptions*)

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा : अध्यक्ष महोदया, मैं इसके अलावा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बोर्ड, निगम, कारखानों, कॉन्ट्रैक्टर्स आदि विविध जगह कार्य करने वाले श्रमिकों को पीएफ, ईएसआईसी का लाभ देने के बारे में कोई कदम उठाने वाली है? ...(व्यवधान) जैसे बोर्ड, निगम के कर्मचारियों को 500 रुपये से 1000 रुपये तक पैंशन दी जाती है।...(व्यवधान) विद्युत बोर्ड के निवृत्त कर्मचारियों को बीमा योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। ...(व्यवधान) क्या सरकार ऐसे श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आगे कोई कदम उठाने वाली है?...(व्यवधान)

श्री बंडारू दत्तात्रेय : अध्यक्ष महोदया, अगर हमारे मजदूरों के खिलाफ ईएसआईसी या ईपीएफओ के अधिकारी ऐसी चेष्टा करते हैं तो मैं उनके बारे में विचार करूंगा। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने जिस पर्टिकुलर ईश्यू के बारे में बताया है, मैं डिपार्टमैंट से बात करके उन्हें बताने की कोशिश करूंगा। ...(व्यवधान) Contract workers are coming under EPFO.… (*Interruptions*) We are taking steps for the enrolment of contract workers under EPFO and ESIC. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, Chair is ready to help you. You can have discussion.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You do not want any discussion.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 noon.

11.30 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

<u>12.00 hours</u>

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

FELICITATIONS BY THE SPEAKER

Congratulations to Indian Women Cricket Team on winning Asia Cup Title

HON. SPEAKER: Hon. Members, I am sure all of you will join me in extending our felicitations to the Indian women cricket team for winning the Asia Cup title after beating Pakistan in the final at Bangkok, Thailand on 4 December, 2016.

All of them have made us proud.

We congratulate the Indian women cricket team and convey our best wishes to them for their future endeavours also.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, at least, now you allow us to speak. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Sarvashri Rajesh Ranjan, Jai Prakash Narayan Yadav, Shailesh Kumar alias Bulo Mandai, Maliikarjun Kharge, Jyotiraditya M. Scindia, K.C. Venugopal, Jitendra Chaudhary, N.K. Premachandran, Prof. Saugata Roy, Shrimati P.K. Sreemathi Teacher, Adv. Joice George, Sarvashri P. Karunakaran, Md. Badaruddoza Khan, Sudip Bandyopadhyay, Y.V. Subba Reddy and P.K. Biju on different issues.

The matters though important do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities.

I have, therefore disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

12.03 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Papers to be Laid on the Table.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013 –

(1) Review by the Government of the working of the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2015-2016.

(2) Annual Report of the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5604/16/16]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 –

(1) The Employees' Pension (Sixth Amendment) Scheme, 2016 published in Notification No. G.S.R.1036(E) in Gazette of India dated 2nd November, 2016.

(2) The Employees' Provident Funds (Fifth Amendment) Scheme, 2016 published in Notification No. G.S.R.1035(E) in Gazette of India dated 2nd November, 2016.

(3) The Employees' Provident Funds (Sixth Amendment) Scheme, 2016 published in Notification No. G.S.R.1065(E) in Gazette of India dated 11th November, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 5605/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI PIYUSH GOYAL): On behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013 –

(1) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5606/16/16]

(2) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Indian Oil Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Indian Oil Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5607/16/16]

(3) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5608/16/16]

(4) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5609/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay on the Table –

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013--

(i) Review by the Government of the working of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5610/16/16]

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Ahmedabad, for the year 2015- 2016, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 5611/16/16]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Inspection Council of India, New Delhi, for the years 2012-2013 to 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 5612/16/16]

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Export Inspection Council of India, New Delhi, for the years 2012-2013 to 2014-2015, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5612A/16/16]

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Inspection Council of India, New Delhi, for the years 2012-2013 to 2014-2015.

(4) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 5612B/16/16]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :- ...(व्यवधान)

1. (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[Placed in Library, See No. LT 5613/16/16]

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015- 16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015- 16 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5614/16/16]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :- ...(व्यवधान)

(1) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 5615/16/16]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015- 2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5616/16/16]

(2) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण सरकार द्वारा समीक्षा। ...(व्यवधान)

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5617/16/16]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूंः-

(1) (एक) इंडियन काऊंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। ...(व्यवधान)

(दो) इंडियन काऊंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखनें हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5618/16/16]

(3) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति। ...(व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 5619/16/16]

(4) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरागोड के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरागोड का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियॉं।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरागोड के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5620/16/16]

(5) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 5621/16/16]

(6) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5622/16/16]

(8) पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं.पीयू/एसीए-1/संशोधन/2013-14 जो 15 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के परिनियम सं. 19 के खंड (1) और (2) के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5623/16/16]

(9) तेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1993 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) अधिसूचना सं.91 जो 19 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो तेजपुर विश्वविद्यालय के परिनियम 2 (4) के संशोधन के बारे में हैं।

(दो) अधिसूचना सं. एफ. 12-2/97/(जीए-आई)वाल्यू-पांच/3659 जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रतिकुलपति की परिलब्धियों तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तो से संबंधित अध्यादेश संख्यांक 21 के संशोधन के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना सं. एफ. 12-2/97/(जीए-आई)वाल्यू-पांच/3659 जो 22 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो तेजपुर विश्वविद्यालय के शासी परिषद के संविधान, शक्ति और कृत्यों से संबंधित अध्यादेश संख्यांक 21 के संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 5624/16/16]

(10) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) अधिसूचना सं.22 जो 3 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के परिनियम 11और 13 के संशोधन के बारे में हैं।

(दो) अधिसूचना सं. 267 जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के परिनियम 2 (4); 11 और 13 के संशोधन के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना सं. 388 जो 25 अक्टूबर, 2016 के के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के परिनियम 5, 11, 13, 41 और 45 के संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 5625/16/16]

(11) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 के साथ पठित धारा 23 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (सम्मिश्रित अधिगम रीति से तकनीकी शिक्षा के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाना) विनियम, 2013 जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 37- 3/लीगल/एआईसीटीई/2013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5626/16/16]

12.04 hours

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL
25th Report

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। ...(व्यवधान)

12.05 hours

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 125th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2016-17) (Demand No. 11), pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay the following statement regarding: the status of implementation of the recommendation contained in the 125th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2016-17)(Demand No. 11), pertaining to the Department of Commerce and Industry.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 124th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on observations/recommendations contained in the 119th Report of the Committee on 'Rubber Industry in India', pertaining to the Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay the following statement regarding: the status of implementation of the recommendations contained in the 124th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on observations/recommendations contained in the 119th Report of the Committee on ‘Rubber Industry in India’, pertaining to the Ministry of Commerce and Industry.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. L.T. 5627/16/16 and 5628/16/16 respectively.

<u>12.06 hours</u>

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 232nd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Tourism*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 232nd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Tourism.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. L.T. 5629/16/16.

12.07 hours

ELECTION TO COMMITTEE
Council of National Institutes of Technology, Science Education and Research

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (कानपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि हिंदी में आइटम संख्या 13 पर लिखा है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करेंगी और अंग्रेजी में लिखा है कि श्री प्रकाश जावड़ेकर उसी प्रस्ताव को पेश करेंगे। क्या अब पद्धति ऐसी हो गई है कि हिंदी में एक मिनिस्टर बोलेगा और अंग्रेजी में दूसरा मिनिस्टर बोलेगा?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नंबरिंग गलत हो गई होगी।

…(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, you can give ruling on this. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं इसे देखूंगी, नंबरिंग में कोई गलती हुई होगी। I will see.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): I beg to move the following:-

> "That in pursuance of clause(j) of sub-section(2) of section 30 of the Council of National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Council of National Institutes of Technology, Science Education and Research, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause(j) of sub-section(2) of section 30 of the Council of National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Council of National Institutes of Technology, Science Education and Research, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

The motion was adopted.

12.08 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS

Re: Impact of demonetisation of 500 and 1000 currency notes

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, हम सब बार-बार आपसे विनती कर रहे हैं कि आपके सामने रूल 184 में रिजाल्यूशन रखा है, उसे स्वीकार करें। इससे पहले आपने कहा कि रूल 56 में यहां डिसकशन नहीं हो सकती है, इसे मोडिफाई करके किसी और तरीके से लाइए। हम सब ने मिलकर और तरीका ढूंढा कि रूल 184 में इस विषय को लें। लोगों को तनख्वाह के पैसे नहीं मिल रही है, पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, लोग क्यू में खड़े हैं, सैंकड़ों लोग मर गए हैं, बहुत से लोग बीमार हो गए हैं।...(व्यवधान) देश में जीडीपी ग्रोथ भी कम हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। चार लाख लोग अनएम्पलाइड हो गए हैं। ये सारी रिपोर्ट आपके पास है।...(व्यवधान) आप इसे सीरियसली लीजिए। हम सीरियसली डिसकस करना चाहते हैं और सारे देश की जनता को बताना चाहते हैं कि इससे कितना नुकसान हुआ है और कितना फायदा हुआ है। इसके लिए वोटिंग होनी चाहिए।...(व्यवधान) सरकार क्यों भाग रही है? हम तो नहीं भाग रहे हैं। हम डिसकशन के लिए तैयार हैं। सरकार के पास ह्यूज मेजोरिटी है। इतने लोग चुनकर आए हैं, उनको खुद को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मतदान से क्यों भाग रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जैसा कहा हमने सुना। आपने कहा रूल बदलकर लाइए, 17 पार्टियों ने मिलकर एक मुद्दा बनाकर लाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बदलकर लाए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे पास ऐसा कोई नोटिस थोड़े ही है। I do not think so.

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमने आपको नियम 184 के तहत नोटिस दिया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने यह नोटिस मेरे हाथ में नहीं दिया है। सब नोटिसेज आफिस जाते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अब नोटिसेज सैक्रिटेरियेट में दिये या आपके आफिस में दिये, यह एक ही बात है। ...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam, notice has been given under rule 184. We have given the notice. ... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप यह डिसकशन एलाऊ कीजिए, वोटिंग एलाऊ कीजिए। ...(व्यवधान) इससे कोई पहाड़ गिरने वाला नहीं है या आकाश गिरने वाला नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, ये लोग मतदान से क्यों भाग रहे हैं? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब बार-बार वही बात कर रहे हैं। You are repeating the same thing.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जितेन्द्र जी, मैं आपको भी बोलने का मौका दे दूंगी। आप सब रोज इसी पर डिसकशन किया कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): अध्यक्ष महोदया, प्रश्न यह है कि बहस से कौन भागता है? That is the question that is coming up. … (*Interruptions*) What I am finding is that under the item, Discussion under Rule 193, the first name is Shri Bhartruhari Mahtab. At least, he is not present today in the House. … (*Interruptions*)

Secondly, what I am telling you is that ultimately the discussion is not taking place. Who is held responsible? Whose responsibility mainly comes upon to see that how the House runs? Is it to the Government side or to the Opposition Parties? They are in a majority position. It is up to them to see that the House runs properly, and they have their brute majority by which they can easily start the Discussion under Rule 184 for which the Congress Party has submitted notice in consultation with us. I have placed notice for Adjournment Motion which I want to withdraw if the Discussion under Rule 184 starts and voting takes place. … (*Interruptions*)

So, I will request the Government that let the House be in a normal situation. Let the debate start, and there should be discussion.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, आप कस्टोडियन हैं, आप सदन की माननीय अध्यक्ष हैं। अब विपक्ष निवेदन कहां करेगा? ...(व्यवधान) वह आपके पास ही करेगा। हम आपसे बार-बार निवेदन कर रहे हैं कि नोटबंदी पर बहस होनी चाहिए। हम लोग बहस के लिए तैयार हैं। हम आगे बढ़कर धारा 184 पर बहस करने के लिए तैयार हैं। इस धारा के तहत बहस के साथ मत विभाजन हो, लेकिन

नोटबंदी के नाम पर सदन में बहसबंदी हो गयी। केन्द्र सरकार कैसे इन कामों को अंजाम दे रही है? हम यहां बहस के लिए तैयार हैं। आज लोगों को वेतन नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही। बिना परिणाम के समझे यह अव्यावहारिक काम किया गया है। शादी-विवाह से लेकर खाद-बीज तक किसानों को नहीं मिल रहा है। आज स्थिति बहुत खराब हो गयी है। लोगों की मौतें हो रही हैं। ...(व्यवधान) एक सौ पांच मौतें हो गयी हैं। ...(व्यवधान) इस पर शोक प्रस्ताव भी आना चाहिए। ...(व्यवधान) इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? ...(व्यवधान) लोग एटीएम की लाइनों में लगे हुए हैं। ...(व्यवधान) लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ...(व्यवधान) यह सरकार का असत्य वायदा है। यह सरकार असत्य साबित हो रही है। ...(व्यवधान) पच्चीस दिन से ऊपर हो गये हैं। ...(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): अध्यक्ष महोदया, हमने ऑल पार्टी मीटिंग, बीएसी मीटिंग और अन्य सभी मीटिंग्स में यही कहा है कि the intention of our Prime Minister to curb the black money is welcome. हर पार्टी, 17 पार्टीज और हर आदमी यही बोल रहा है कि only the implementation is a problem. How it is being transformed is the problem. So, what I suggested and what my party thought and also along with Shri Bhartruhari Mahtab when we had a discussion with you and with Mr. Ananthkumar Ji, when we, all of us, sat down, हमने यही बोला कि गले में सांप गिर गया है और वह सांप काटकर ही रहेगा। लेकिन उसका हल कैसे निकालना है, किस तरह से उस पर दवा लगानी है, यह हल हमें खोजना है। आज जिस तरह से लोगों को तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमने नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करने का सुझाव दिया है। ...(व्यवधान) इस तरीके से भी चर्चा हो सकती है।

मैडम, हमने आपको पूरी फ्रीडम दी है कि आप नियम 193, 184 या 56, जिस भी नियम के तहत आप चर्चा कराना चाहती हैं, वह कराइये। लेकिन इस पर बहस जरूर होनी चाहिए। … (*Interruptions*) It has to be done because पब्लिक हर दिन बहुत प्रॉब्लम फेज कर रही है। ...(व्यवधान) इवेन हैदराबाद के अंदर में, आज हमारे पेपर्स में लिखा है कि पब्लिक बैंकर्स को मारने गयी थी। इस तरीके से वायलेंस आगे न बढ़े, पब्लिक इसे अपने हाथ में न ले, उसके लिए हम सभी लोग इस पर चर्चा करें।...(व्यवधान) हम लोग नियम 193 के तहत चर्चा चाहते हैं, वे लोग नियम 184 के तहत चर्चा चाहते हैं, किसी भी तरीके से चर्चा हो और हम सरकार को अपने सुझाव दे दें कि किस तरीके से इसको चलाएं। ..(व्यवधान) आज बैंक वालों का स्टेटमेंट आया है कि दो लाख 25 हजार एटीएम में से केवल एक लाख एटीएम चल रहे हैं। ..(व्यवधान) आज मैंने हिन्दू पेपर में देखा - "Bank Employees plan agitation." इस तरीके से देश

की स्थिति खराब हो रही है। मेरा सुझाव है कि किसी भी नियम के अंतर्गत आप इस पर चर्चा शुरू कराइए और इमिडिएटली इसका समाधान निकालिए, अन्यथा आज जनता परेशान हो रही है।..(व्यवधान)

अगर आप अनुमति दें तो मैं नियम 193 के तहत चर्चा अभी शुरू कर देता हूं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am ready.

इसी विषय पर वोटिंग कर लो कि नियम 193 में हो या 184 में चर्चा हो।

श्री मुलायम सिंह यादव जी।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, आप इसको गंभीरता से लीजिए। मैं माननीय गृहमंत्री जी से भी कहता हूं कि इसको गंभीरता से लीजिए। आप देखें, दो महिलाएं 1000 रुपये के नोट लेकर गयीं, उनको मना कर दिया गया कि ये नोट नहीं चलेंगे तो उनकी वहीं मौत हो गयी। उन दो महिलाओं की मौत हो गयी। अभी तक उत्तर प्रदेश में 16 लोगों की मौत हो चुकी है।...(व्यवधान) सारे देश में ऐसी 105 मौतें हो चुकी हैं। इससे ज्यादा गंभीर मामला क्या हो सकता है? आप बताइए, अगर आपको यह काम करना था तो सदन के नेताओं को बुलाने में परेशानी क्या थी?...(व्यवधान) हम लोग अपने सुझाव देते, इसमें परेशानी क्या थी? चोरी से रात को आठ बजे,...(व्यवधान) चोरी से रात आठ बजे डिक्लेयर कर दिया और डिक्लेयर करने के बाद हम लोगों ने अपनी बात रखी। हम जनता की बात कहां रखेंगे?...(व्यवधान) अभी मैं आ रहा था रास्ते में, बैंक पर लोगों की लाइन लगी हुई है। आप पता लगाइए कि बैंकों में क्या हाल है? वहां लाइन लगी हुई है। इसी तरह से किसान और व्यापारी, इन दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनका संबंध गहरा है, किसान पैदावार करता है, व्यापारी को बेचता है और व्यापारी उसकी सप्लाई करता है पूरे देश के खाने के लिए। इनके बारे में आपने क्या सोचा? किसान के बारे में क्या सोचा? ..(व्यवधान) अब बहुत से किसान फसल नहीं बो पाए हैं। बुआई नहीं कर पाए हैं। आप उत्तर प्रदेश में ही पता लगा लीजिए, किसान बुआई नहीं कर पाए हैं। उनको बीज और खाद नहीं मिली है। आप बताइए अगर इस गंभीर सवाल पर भी सदन में बहस आप स्वीकार नहीं करेंगी, तो इससे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपके जीवन में नहीं आ सकता।...(व्यवधान) क्या नोटबंदी कोई मामूली मुद्दा है? अगर आपको नोट बदलना ही थे, तो हम लोगों को भी साथ बैठा लेते कि हम इस तरह से नोट बदलना चाहते हैं।...(व्यवधान) मेरा यही कहना है।...(व्यवधान) आप देख लेना। जब जनता के बीच जाएंगे, तब पता चलेगा। जब जनता और किसानों के बीच जाएंगे तो पता चल जाएगा।...(व्यवधान) यह समस्या आपके सामने भी है। उस जनता से आपको भी काम पड़ेगा।...(व्यवधान) जनता के बीच आप भी जाएंगे। यह इतना महत्वपूर्ण मामला है, इसमें आप किसी को विश्वास में नहीं लेकर, न जाने क्या श्रेय लेना चाहते हैं? एक-दो बड़े उद्योगपतियों और बड़े पूंजीपतियों के कहने से क्या नोटबंदी होगी? कौन नहीं जानता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, अब बैठिए। आपकी बात आ गयी है।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी बात कहना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान के महज कुछ बड़े उद्योगपतियों की राय से यह हुआ है, जनता की राय से या हमारी राय से नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते, हम बोलना नहीं चाहते हैं और न हमारी ऐसी राय है कि ऐसा बोलें। हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम जनता का दुख-दर्द कहना चाहते हैं। किसान, मजदूर और व्यापारी की बात कहना चाहते हैं। किसान और व्यापारी से किसका संबंध है? उनकी राय नहीं ली जा रही है। क्या आपको अनुभव नहीं है? भले ही आपकी मजबूरी है। वह अलग बात है। हम जो बोल रहे हैं, ये बोलते हैं, ये किसान की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, लेकिन काम करते हैं उल्टा। समर्थन करते हैं उनका। हम तो ऐसा नहीं करते हैं।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं प्रतिपक्ष के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि डीमोनेटाइजेशन जिसे बोलचाल की भाषा में नोटबंदी कहते हैं, इस नोटबंदी के सवाल को लेकर सरकार की इंटेंशन पर किसी ने संदेह व्यक्त नहीं किया है, इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हां, यह सच है कि लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि इसका इम्पलीमेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए, वह शायद इन लोगों की सोच के अनुसार नहीं हो पा रहा है।...(व्यवधान) लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां तक सत्ता पक्ष का प्रश्न है, हम इस विषय पर बहस करने के लिए तैयार हैं और यह जानना चाहते हैं कि इम्पलीमेंटेशन को लेकर कहां पर क्या कठिनाई पैदा हो रही है, कहां पर क्या अड़चनें पैदा हो रही हैं?...(व्यवधान) मैं प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी इम्पलीमेंटेशन की कठिनाइयों से प्रतिपक्ष अवगत कराएगा, उसका यथासंभव निराकरण करने की हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे।...(व्यवधान) हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो यह फैसला किया है, यह राष्ट्र-हित को ध्यान में रखकर फैसला किया है।...(व्यवधान) देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए यह फैसला किया है। कालेधन की एक पैरेलल इकोनॉमी की जो चर्चा होती थी, उसे समाप्त करने के लिए यह फैसला किया है।...(व्यवधान)

आतंकवाद, माओवाद और उग्रवाद की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं और जिस तरीके से ब्लैक मनी और फेक मनी की सप्लाई हो रही थी, उसे रोकने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह फैसला किया है।...(व्यवधान) इसीलिए मैं प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : माननीय अध्यक्ष जी, नियम 184 के तहत चर्चा करा लीजिए।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : आप नियम की बात छोड़िए।...(व्यवधान) देखिए, आप सबने...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। कल्याण जी, पूरी बात तो सुननी चाहिए। राजनाथ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कल्याण जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल जो राजनाथ सिंह जी बोलेंगे, वही बात रिकार्ड में जाएगी। मैंने अन्य किसी को एलाऊ नहीं किया है। Nothing will go on record, if you speak like this.

Only what Shri Rajnath Singhji speaks will go on record.

...(Interruptions)...[*]

HON. SPEAKER: I am sorry.

Shri Rajnath Singhji, please complete.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, क्या बात है? कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने देखा कि बहस किस नियम के अन्तर्गत होनी चाहिए, इस प्रश्न पर भी पूरी अपोजीशन डिवाइडेड है। एक ओपिनियन भी नहीं है कि इस नियम के अन्तर्गत इस पर चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान) ऐसा ही है। मैं देख रहा हूं, क्योंकि जैसे हमारे जितेन्द्र रेड्डी जी ने यह बात कही है, नियम का प्रश्न नहीं है। हम बहस चाहते हैं और इम्पलीमेंटेशन में यदि कहीं पर कोई कमी रह गई है तो उसे हम हाइलाइट करना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

मैं पुन: आश्वस्त करना चाहता हूं कि इम्पलीमेंटेशन को लेकर कहीं पर सरकार के पार्ट पर यदि कोई कमी रह गई होगी तो हम उसे ठीक करेंगे क्योंकि जो यह हमारा फैसला है, वह राष्ट्र के हित में लिया गया फैसला है।...(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं और साथ ही प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि अब वह यह बात अध्यक्ष महोदया पर छोड़िए कि वह जिस भी नियम के अन्तर्गत चर्चा कराना चाहती हों अथवा बिना नियम के चर्चा कराना चाहती हों तो चर्चा हम सबको प्रारम्भ करनी चाहिए।...(व्यवधान)

खड़गे साहब. मैं आपसे भी विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि सत्ता पक्ष चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कृपया अब इस पर चर्चा को प्रारम्भ करें और खड़गे साहब, अब आप ही इस चर्चा को प्रारम्भ

---

[*] Not recorded

करें। मैं अध्यक्ष महोदया जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन्हें आमंत्रित करें और चर्चा प्रारम्भ की जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब एक मिनट मेरी भी बात सुनिए। मैं आपकी बात सुनूंगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसी चर्चा मत करिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी वही बात कह रहा हूं। रॉंग मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए। हम चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जो भी किसानों, मजदूरों के हितों की बात करने वाले हैं, क्या वे सभी देशद्रोही हैं?...(व्यवधान) जो किसानों की हित की बात करते हैं,...(व्यवधान) जो मजदूरों की हित की बात करते हैं, ...(व्यवधान) जो छोटे व्यापारियों की हित की बात करते हैं,...(व्यवधान) क्या वे सभी देशद्रोही हैं, हम यह पूछना चाहते हैं?...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nobody is saying something like this.

... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम यह चाहते हैं कि इसका कोई समाधान हो, ...(व्यवधान) हम सजैशंस देना चाहते हैं।...(व्यवधान) आप भी हमारी बात सुनिए।...(व्यवधान) 50 दिनों में 1,28,000 करोड़ रूपये का नुकसान होने वाला है।...(व्यवधान) 8,00,000 से 10,00,000 लोग बेरोजगार होने वाले हैं। ...(व्यवधान) पूरा मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर ठप हो गया है।...(व्यवधान)

12.26 hours

(At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table)

माननीय अध्यक्ष : आप चर्चा शुरू कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : नहीं, आप हमारी बात सुनिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप चर्चा शुरू कर रहे हैं?

…(व्यवधान)

12.27 hours

(At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members went back to their seats)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, उनको मालूम होना चाहिए,…(व्यवधान) इसलिए आप नियम 184 के तहत चर्चा शुरू कीजिए।…(व्यवधान) मैं आंकड़ों के साथ बोलता हूं।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

… (*Interruptions*) …*

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपकी बात इतनी देर तक सुनी, आप भी चेयर से कुछ सुनिए। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि चर्चा के लिए, चाहे इस तरफ के माननीय सदस्य हों या उस तरफ के माननीय सदस्य हों, पूरा सदन चर्चा के लिए तैयार है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी लोग सामान्य जनता के सुखःदुःख की बात करना चाहते हैं। मैं भी उन्हीं सामान्य लोगों में से ही चुन कर यहां आयी हूं और आज इस कुर्सी पर बैठी हूं। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि आज नियम 193 के तहत चर्चा लगी है, फिर भी अगर वास्तव में पूरा सदन चर्चा करना चाहता है तो मैं चेयर की तरफ से भी सहयोग देने को तैयार हूं, आप नियम के लिए लड़ाई नहीं लड़िए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वास्तव में जनता का दुःख दूर करने के लिए, I am ready.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अभी आप चर्चा करना चाहेंगे तो बिना नियम के भी चर्चा करने की अनुमति दे सकती हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चाहें तो चर्चा शुरू करें।

…(व्यवधान)

---

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष : जब वोट का समय आयेगा तब वोट की बात करेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या इस बात पर भी वोट करेंगे?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप जिद्द ही करेंगे तो लोगों की सुख-दुःख की चर्चा नहीं हो सकती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इससे यह मैसेज जाता है कि हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please, I am requesting all of you.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अब निर्णय आपके ऊपर है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिधूड़ी जी, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

12.28 hours

(At this stage Shri Kalyan Banerjee, Shri K.C.Venugopal, Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप न हमारी सुनिए और न इनकी सुनिए कि किस नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए।…(व्यवधान) आपने जैसा कहा था,…(व्यवधान) आप बिना किसी नियम के ही चर्चा प्रारंभ करे दें,…(व्यवधान) मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not the way.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इसका मतलब है कि आप चर्चा नहीं चाहते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब हम शून्य काल लेते हैं।

श्री रमेश बिधूड़ी।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में गरीबों के हित के लिए एक सेन्सिटिव मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) इन...* की सरकार 20 साल तक रही,...(व्यवधान) वर्ष 1983-84 में भूमिहिनों को प्लॉट्स दिये गये थे। ...(व्यवधान) उन भूमिहिनों को उनका मालिकाना हक, यह सरकार कभी नहीं दे पायी।...(व्यवधान) यह दिल्ली में रहे और केन्द्र में भी रहे।...(व्यवधान) जो लोग वर्ष 1983-84 से सरकारी ग्राम सभा की जमीन पर बैठे हैं,...(व्यवधान) उन्होंने कुछ लोगों को वे प्लॉट्स अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिये हैं। ...(व्यवधान) वर्ष 2011 में ऑनरेबल लेफ्टिनैंट गवर्नर जनरल ने आदेश जारी किया कि उनका मालिकाना हक होना चाहिए। ...(व्यवधान) ये ... * जो हरिजनों की बात करते हैं,...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन लोगों के प्लॉट का नोटिफिकैशन करके, दिल्ली सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार उन लोगों को मालिकाना हक दिलायें।...(व्यवधान) उन लोगों की रजिस्ट्री को वैलीड किया जाये।...(व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर, श्री शरद त्रिपाठी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदया, भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी-विवाह से लेकर त्योहार व मांगलिक अवसरों पर सोने-चाँदी के गहने खरीदने और पहनने की परम्परा है।...(व्यवधान) प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अनुसार सोने-चाँदी के जेवर खरीदता है और ये गहने उसके लिए आर्थिक सुरक्षा का भी काम करते हैं।...(व्यवधान) हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जिसमें सोने-चाँदी का व्यवसाय ज्यादातर स्थानीय व्यावसायियों द्वारा किया जाता है, जो हॉलमार्क के जेवर नहीं बेचते हैं।...(व्यवधान) ग्रामीण क्षेत्रों में सोने-चाँदी के जेवरों की अशुद्धता का प्रतिशत सोने में 30 से 35 प्रतिशत तक और चाँदी में 50 प्रतिशत और कहीं-कहीं इससे भी अधिक होता है।...(व्यवधान) लोक सभा में दिनांक 29.11.2016 को एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि हमारे देश में हॉलमार्क जेवर बेचने की बाध्यता नहीं है और उपभोक्ता मामलों के मंत्री जी ने यह भी बताया था कि जांच करने पर अशुद्धता का प्रतिशत 11 से 13.50 प्रतिशत सोने के जेवरों में पाया गया है, परन्तु यह औसत है जबकि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अशुद्धता अधिक है।...(व्यवधान) मंत्री जी ने उत्तर में बताया था कि

---

* Not recorded.

हॉलमार्क केंद्रों की संख्या गुजरात, केरल, तमिलनाडु में जहां क्रमशः 48, 45 और 54 की है, वहीं उत्तर प्रदेश, जो 22 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है, वहां केवल 16 हॉलमार्क केंद्र हैं।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं, चूंकि सोने-चाँदी के जेवरों की खरीद लोग बचत व पूंजी के तौर पर भी करते हैं, इनकी अशुद्धता से लोगों का बहुत आर्थिक नुकसान होता है। अतः सोने-चाँदी के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क की अनिवार्यता की जाए तथा उत्तर प्रदेश में हॉलमार्क केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री राघव लखनपाल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर, श्री शरद त्रिपाठी और डॉ. किरीट पी. सोलंकी को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : अध्यक्ष महोदया, ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति की एक भी इकाई यदि बाल श्रमिकों जैसे अभिशाप से अभिशप्त रही, तो ध्यान रहे कि हम भविष्य की कई स्वर्णिम संभावनाओं को तो खो ही रहे हैं, साथ ही राष्ट्र की मुख्यधारा से विमुख कई समस्याओं को पाल रहे हैं जो परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए सर्वथा हानिकारक हैं।...(व्यवधान)

महोदया, मैं सीधी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं। मेरे सीधी जिले के एनजीओ व जन अभियान परिषद के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग तीन हजार बाल श्रमिक हैं किंतु इन आंकड़ों को नकार कर प्रशासन एक भी बाल श्रमिक की मौजूदगी स्वीकार करने में असमर्थ हो रहा है।...(व्यवधान) सिर्फ सीधी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि देश के अन्य जगहों पर ऐसी स्थितियां विराजमान होंगी।...(व्यवधान) मैं चाहती हूं कि इन विकृतियों को खुले मन से स्वीकार करने की आवश्यकता है और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं पूरे मन से यह भी कहना चाहती हूं कि बाल श्रमिकों की इस श्रृंखला में विराम लगना चाहिए और उनके उत्थान व उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।...(व्यवधान)

महोदया, बाल श्रम स्कूलों के माध्यम से बाल श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा को स्किड एजुकेशन में परिवर्तित किया जाए और उन्हें उनके रुचिकर भविष्य के निर्माण में सहायता दी जाए।...(व्यवधान) बाल श्रम स्कूलों को व्यावहारिक धरातल पर प्रभावी मजबूत परिणामकारी करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सदन से एक गंभीर आवेदन और निवेदन करना चाहती हूं कि भारतवर्ष

के कोने-कोने में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सड़कों पर कूड़ा-करकट के ढेर में कबाड़ आदि का बीनते हुए झुंड के झुंड में ये बालक दिखाई देते हैं और यह कार्य करने के लिए अभिशप्त हैं।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से पुनः आग्रह करूंगी कि भारत सरकार और प्रशासन बाल श्रमिकों की मौजूदगी और उनकी दुखद स्थितियों को साहस के साथ स्वीकार कर इस दिशा में आगे क़दम बढ़ाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Jitendra Chaudhury – Not present.

… (*Interruptions*)

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Respected Madam Speaker, I thank you for giving me an opportunity to raise a matter of urgent public importance during 'Zero Hour'. … (*Interruptions*)

The Government of India had assured in the A.P. Reorganization Act, 2014 that a new Railway Zone would be set up in Andhra Pradesh comprising of three Divisions, namely, Vijayawada, Guntur and Guntakal, and the Waltair Division of the East Coast Railway. For almost a decade, there has been a demand for a new Railway Zone with Visakhapatnam as its Headquarters, as the present Waltair Division is the highest revenue earner in the East Coast Railway Zone. The total earnings of the Waltair Division is about Rs. 6,280 crore in 2013-14, which is about 50 per cent of the total annual revenue of the East Coast Railway Zone.… (*Interruptions*)

Visakhapatnam has a natural advantage of having two major ports. Abundant land bank is readily available near the Visakhapatnam Railway Station. Waltair Division has the biggest Loco Shed and an excellent Coach Maintenance Depot. … (*Interruptions*)

As we all know, Visakhapatnam is the fastest growing city in Asia having several reputed organizations like Eastern Naval Command, NSTL, BHEL, BARC, HPCL Refinery etc., and the present Waltair Railway Division has all

medical, educational, sports infrastructures etc., to meet the requirements of the new Railway Zone. … (*Interruptions*)

After the bifurcation of Andhra Pradesh, the formation of a new Railway Zone in Andhra Pradesh has become imperative as the Headquarters of the South Central Railway is located at Secunderabad of Telangana State. It is obvious to integrate the three Divisions of South Central Railway with Waltair Division of the East Coast Railway and give Andhra Pradesh a new Railway Zone to give fillip to its economy. Of course, Visakhapatnam is the ideal choice for locating the Headquarters of the proposed new Railway Zone. … (*Interruptions*)

In view of the natural advantages, I would urge upon the Government to announce the creation of a new Railway Zone with Headquarters at Visakhapatnam without any further delay. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi).

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Madam, in our country, everyday 59 people die from fire accidents. This is a number which, I would urge my colleagues, in this House to think about. This is the average for the last 15 years. Everyday, on an average, 59 people die from fire accidents in this country whether it is a hospital fire in Odisha or a temple fire in Kerala or so many residential and office buildings which do not have proper safety features. … (*Interruptions*)

I would like to point out that the Civil Defence Website of the NDRF of the Home Ministry itself says that there is almost 98 per cent shortage of fire stations in the country. Although this is required to be established by the State Governments and Municipalities, yet it is a national crisis. I would urge the Government and my colleagues here to support the Central Government scheme to fund fire stations. We cannot afford to have this kind of casualty in our country. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Sharad Tripathi, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Dr. Kirit P. Solanki are permitted to associate with the issue raised by Shri Baijayant Jay Panda.

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़, मध्य प्रदेश में दूरसंचार व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

महोदया, एक ओर जहां सरकार देश भर में डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के हर कोने को जोड़कर संचार क्रांति का कार्य कर रही है,...(व्यवधान) वहीं राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों व कर्मचारयों की लापरवाही व गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते सम्पूर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो रही है।...(व्यवधान) एक ओर जहां अन्य टेलिकॉम कम्पनियां 4जी सेवा की ओर अग्रसर हो रही हैं, वहीं बीएसएनएल 2जी सेवा भी निरंतर नहीं दे पा रही है।...(व्यवधान) अधिकांश समय लिंक फेल होने, ओएफसी केबल प्रणाली की सतत् निगरानी व समय सीमा निर्धारण नहीं होने, राजमार्ग व अन्य सड़क आदि बड़े निर्माण कार्यों के स्वीकृति के पश्चात लाईन उखड़ने तक शिफ्टिंग की योजना नहीं होना एक गंभीर परिस्थिति को दर्शाता है,...(व्यवधान) जिससे किसान, व्यापारियों व आम जनता को होने वाली परेशानियों से क्षेत्र में शासकीय दूरसंचार व्यवस्था के प्रति भारी असंतोष व्याप्त है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि संचार व्यवस्थाओं की सर्व-सुलभ पहुंच आम-जन तक पहुंचाने हेतु व्यवस्थाओं को सुदृढ़ीकरण, जवाबदेही पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, पर्याप्त व कुशल तकनीकी स्टॉफ आदि कार्यों का समुचित व्यवस्थापन किए जाने से क्षेत्र को लाभ होगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैंरो प्रसाद मिश्र और श्री सुधीर गुप्ता को श्री रोडमल नागर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदया, मैं बहुत ही गम्भीर मुद्दे पर सदन में चर्चा करना चाहता हूं।...(व्यवधान) सर्जिकल स्ट्राइक की गयी और कहा गया कि इसके माध्यम से हमने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है।...(व्यवधान) लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी अभी तक 31 जवान मारे जा चुके हैं।...(व्यवधान) उरी से लेकर नगरोटा, पम्पोर और कई अन्य स्थानों पर सेना पर हमले की घटनाएं हो रही हैं।...(व्यवधान) यह बातें भी लगातार आ रही हैं कि आतंकवाद और उग्रवाद इत्यादि को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।...(व्यवधान) लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आजादी के बाद पहली बार लगातार तीन आर्मी हैडक्वार्टर्स के भीतर जाकर आतंकवादियों ने सैनिकों को मारा है। परंतु इसमें सबसे ज्यादा दुखद घटना यह

है कि कई बार चर्चा में यह आता रहा है कि हमारे देश के जो मिग लड़ाकू विमान हैं, हैलिकॉप्टर्स हैं, वे काफी पुराने तथा खराब हो चुके हैं, जिसके कारण लगातार लोग मारे जाते हैं। लेकिन उन्हें हमारे देश में शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर कब तक आतंकवादी आर्मी हैडक्वार्टर में घुसकर सैनिकों को मारते रहेंगे। हमारे देश के सामने यह एक गंभीर सवाल है। इस देश में शहीदों के आश्रितों को दो तरह का मुआवजा दिया जाता है। हरियाणा या अन्य कुछ जगहों पर शहीदों के आश्रितों को कुछ ज्यादा पैसे दिये जाते हैं। परंतु बिहार में शहीदों के आश्रितों जीरो पैसा दिया जाता है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि देश भर में जो सैनिक शहीद होते हैं, उन शहीदों के आश्रितों को एक मुकम्मल राशि दी जाए। चाहे कोई सैनिक हैलिकॉप्टर से मरे, चाहे वह मिग विमान से मरे, चाहे किसी सैनिक से मरे, इन सबको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। चाहे वह बी.एस.एफ. का हो या पुलिस का आदमी हो, उन सबको शहीद का दर्जा दिया जाए।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में शहीदों की मूर्तियां लगाई जाएं तथा उन्हें एक मुकम्मल राशि दी जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री दुष्यंत चौटाला एवं श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र मंदसौर, नीमच, जावरा से रतलाम की ओर जाने वाले रेल मार्ग पर क्यू ट्रैक का निर्माण हुआ है। क्यू ट्रैक के निर्माण के पश्चात इसमें सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। यह क्यू ट्रैक इंदौर से अजमेर के बीच रेल परिचालन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेलवे बोर्ड की अनुमति के साथ ही इस ट्रैक पर इंदौर से जावरा, मंदसौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर तथा उदयपुर तक यात्री गाड़ियों का संचालन प्रारम्भ होना है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि तत्काल रेलवे बोर्ड के माध्यम से इस क्यू ट्रैक पर यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुमति जारी करें, ताकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के यात्रियों को यात्री गाड़ियों की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुधीर गुप्ता द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Hon. Speaker Madam, I have a problem which is long pending in my Vijayawada Parliamentary constituency of Andhra Pradesh. There is a community called the Nayakapod in Vissannapeta Mandal in my constituency. There are nearly 400 families in my constituency belonging to this community. There is no other place in the State where this community is there. Previously the officials used to give them caste and income certificate from Khammam district of the united Andhra Pradesh. But now after the bifurcation of the State, this community is facing a huge problem. I have already written letters to the Government of India and the Prime Minister to resolve the issue. Our State Government has already issued an order in G.O.Ms. No. 58 of Social Welfare Department on 12th May 1997 that they belong to the ST community. Hence, I request the Government of India to include this community in Scheduled Tribes of Andhra Pradesh.

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री केसिनेनी श्रीनिवास द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन टैक्सटाइल पार्क बनाने की अधिकतर मान्यताएं पश्चिम महाराष्ट्र में दी गई हैं, जो वहां केन्द्र सरकार द्वारा खोले गये हैं। उनमें से आधे से ज्यादा रद्द हो गये हैं। टैक्सटाइल पार्क जिस उद्देश्य के लिए खोले गये थे, वे उद्देश्य वहां पूरे नहीं किये गये। ये उद्देश्य वर्तमान टैक्सटाइल पार्क खोले जाने के मानकों को कभी पूरे नहीं करते। टैक्सटाइल पार्क में कपास खरीदकर रेडिमेड कपड़ा बनाकर उसे मार्केट तक लेकर जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जा सके।

मेरा इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि जहां पर कपास की फसल ज्यादा होती है, वहीं पर टैक्सटाइल पार्क स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाए। इससे किसानों में कपास उत्पादन के प्रति उत्साह बढ़ेगा तथा किसानों के द्वारा उत्पादित कपास का अधिक मूल्य मिलेगा। मेरे बुलढाणा क्षेत्र में कपास की खेती ज्यादा होती है।...(व्यवधान) टेक्सटाइल पार्क बुलढाणा जिले में भी खोला जाना चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से ऐसा अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैंरो प्रसाद मिश्र और श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री प्रतापराव जाधव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri E.T. Mohammad Basheer – Not present.

Shri Jayadev Galla.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you Madam. There is no doubt that 'speed' is the latest mantra of all the Ministries and more particularly the Indian Railways. Railways are passionately working to have more and more high speed rail corridors in the country and the Mysore-Bengaluru-Chennai is one such corridor for which a feasibility study is being done by Germany. It is welcome that this is the very first high speed corridor proposed in the Southern part of the country. I am given to understand that the study will commence a couple of months from now by Germany's Transport and Digital Infrastructure Ministry.… (*Interruptions*)

Madam, Amaravati is the new Capital of Andhra Pradesh and its work has already commenced. Woven around the theme of blue of River Krishna and the green of pastoral landscape, the Capital city is spread over 217 sq.km. in Guntur district while the metropolitan Capital region spans 7,420 sq. km. encompassing large parts of both Guntur and Krishna districts. It is going to be the most modern and people's Capital in the country.… (*Interruptions*)

It was reported that the hon. Railway Minister has requested the Government of Germany to include Vijayawada in this corridor for the feasibility study. I welcome this, but, at the same time I urge the hon. Minister that one cannot ignore the Capital city of any State as that becomes the nerve centre of every activity of that State. So, Amaravati being the Capital of Andhra Pradesh cannot be ignored by not including it in the high speed corridor.… (*Interruptions*)

In view of above, I would urge upon the hon. Railway Minister to request the Government of Germany to also include Amaravati in the feasibility study for

high speed rail corridor and the corridor be named as Mysore-Bengaluru-Chennai-Amaravati-Vijayawada High Speed Rail Corridor.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Jayadev Galla.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Adv. Joice George – Not present.

Shri S.P. Muddahanume Gowda – Not present.

Shri Shrirang Barne.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदया, मेरे चुनाव क्षेत्र में पिंपरी चिंचवड से पुणे तक मेट्रो ट्रैक को वर्ष 2008 में प्राथमिक तौर पर मंजूरी मिली थी, लेकिन आज तक वास्तविक रूप से मेट्रो का कोई निर्णय नहीं हुआ है और वह काम वैसा का वैसा ही रहा है।...(व्यवधान)

इस मेट्रो ट्रैक को पिंपरी चिंचवड से पुणे तक मंजूरी मिली है, जबकि पिंपरी चिंचवड तक 15 स्टेशन आते हैं।...(व्यवधान) केवल 7.5 किलोमीटर तक ही मेट्रो ट्रेन पिंपरी चिंचवड तक चलाने को मंजूरी मिली है।...(व्यवधान) पिंपरी चिंचवड शहर की आबादी 22 लाख है।...(व्यवधान) पिंपरी चिंचवड के करीब चाकन, देहु रोड, आकुर्डी और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए।...(व्यवधान)

अतः मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से माँग करता हूँ कि इस मेट्रो मार्ग को पिंपरी के अम्बेडकर चौक तक मंजूरी मिली है।...(व्यवधान) अगर इसे बढ़ाकर भक्ति-शक्ति चौक निगडी तक मंजूरी मिले तो इससे इन सभी को राहत मिलेगी और सभी को सुविधा प्राप्त होगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैंरो प्रसाद मिश्र को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो.चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।...(व्यवधान) मेरा आज बहुत ही संवेदनशील विषय को सदन के सामने रखना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

महोदया, देश में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन की राशि में बहुत असमानता है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में जहाँ वह 300 रूपए मिलती है, हरियाणा में एक हजार रूपये है, दिल्ली में एक हजार रूपये से लेकर पन्द्रह सौ रूपये तक है।...(व्यवधान) देश में यह विसंगति

है।...(व्यवधान) वृद्धजनों, विधवा और दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन की राशि में देश में बहुत असमानता है।...(व्यवधान) इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए।...(व्यवधान) इस विसंगति को दूर करने के लिए इसे डिजिटल इन्डिया से जोड़ें और पूरे देश में एक जैसी पेंशन मिले, क्योंकि उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत समस्या आती है।...(व्यवधान) जैसे ये तीनों वर्ग हैं, चाहे वह विधवा हो, चाहे वह वृद्ध हो या हमारे दिव्यांग बन्धु हों, इन सभी को रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत परेशानी आती है।...(व्यवधान) उनका एकीकृत रजिस्ट्रेशन हो, एक ही स्थान पर उनका सर्टिफिकेशन हो जाये।...(व्यवधान) डिजिटल इंडिया में जो उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और बाकी भी कार्रवाई होती है, वह एक स्थान पर हो जाए, ताकि उनको कम से कम परेशानी हो। ...(व्यवधान) महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि पूरे देश में एक रूप से कम से कम एक हजार रूपए विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन और दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिले। ...(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रोड़मल नागर, श्री लखन लाल साहू, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री शरद त्रिपाठी, श्री सुधीर गुप्ता और श्री आलोक संजर को प्रो. चिंतामणि मालवीय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय कम्युनिकेशन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत यद्यपि अमेरिका और चीन के पश्चात डिजिटल क्रांति में तीसरे स्थान पर है। ...(व्यवधान) शहरों की अपेक्षा ग्रामीण भारत में इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए अभी और नेटवर्क खड़ा करने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) इसके साथ ही विश्व स्तर पर डिजिटल सेवाओं का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी इंटरनेट की स्पीड अपेक्षा के अनुरूप बढ़ानी है। ...(व्यवधान) मौजूदा दौर में जहां शहरी इंटरनेट उपभोक्ताओं का प्रतिशत 67 प्रतिशत है, वहीं देश में 11 करोड़ 19 लाख ग्रामीण इंटरनेट से जुडे हैं। ...(व्यवधान) भारत अपनी डिजिटल क्रांति के माध्यम से न केवल समय की बचत व अन्य सुविधाओं का विस्तार करने मे सफल रहा है, वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। ...(व्यवधान) देश में राशन कार्ड व एलपीजी के ऑनलाइन सिस्टम से करोड़ों फर्जी उपभोक्ताओं का पर्दाफाश हुआ है। ...(व्यवधान)

मैं मांग करता हूं कि दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही 150 से अधिक सेवाओं का इंटरनेट के माध्यम से बेहतरीन फायदा उठाने के लिए सूचना तंत्र को और मजबूत किया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान) मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) हमारे यहां सड़कों का चौड़ाकरण होता है, फोर लेन सड़कें बनती हैं। ...(व्यवधान) बहुत ही मेहनत के साथ पेड़ तैयार किए जाते हैं, लेकिन 50-50 साल पुराने पेड़ों को काट दिया जाता है। ...(व्यवधान) परिवहन मंत्रालय कंपनियों के साथ एमओयू करता है कि जितने पेड़ काटेंगे, उसके बराबर पेड़ लगाएंगे। ...(व्यवधान) मैंने राजस्थान में, मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे लोक सभा क्षेत्र में सर्वे कराया। ...(व्यवधान) कंपनियां फार्मेलिटीज पूरी करती हैं, पेड़ नहीं लगाती हैं। ...(व्यवधान)

मेरा माननीय पर्यावरण मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री से निवेदन है कि उन पेड़ों को काटने की अपेक्षा, जैसे कई देशों में एक तकनीकी प्रयोग की जाती है कि पेड़ को उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाया जा सकता है। ...(व्यवधान) इन कंपनियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए, ताकि वे ठीक ढंग से पेड़ लगाएं और उनकी केयर करें, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो। ...(व्यवधान) यही मेरा निवेदन है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर, और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned up to 2.00 p.m.

12.53 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hours

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Arjun Sethi *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members may personally handover the text of the matter as per practice.

… (*Interruptions*)

---

* Treated as laid on the Table

(i)Need to grow and use mosquito-eating fish and frogs to control vector-borne diseases in the country

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : देश में मच्छर जनित बीमारियों यथा डेंगू, चिकुनगुनिया, इंसेफेलाइटिस, मलेरिया आदि का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बाजार में मच्छरों को मारने या भगाने के अनेक उत्पाद हैं लेकिन मच्छर जनित बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। मच्छरों से निपटने के लिए दी जाने वाली दवाएं उल्टे उन मच्छरों को ही ताकतवर बना रही है। इन बीमारियों से बचने के लिए मच्छरों की पैदावार को नियंत्रित किया जाना जरूरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मच्छरों की वृद्धि दर को रोकने के लिए सरकार को मेंढकों की आबादी बढ़ाने के उपायों पर विचार करना होगा। दरअसल मच्छरों का लार्वा मेंढकों का प्रिय भोजन है। सिर्फ 50 मेंढक एक एकड़ धान की खेती को सभी प्रकार के कीटों से बचा सकते हैं। एक मेंढक अपने जीवनकाल में 15 से 16 लाख मच्छरों को नष्ट कर देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ दशक पहले तक मेंढकों की टांगों का निर्यात यूरोपीय देशों को होता था, जिसे 1972 में प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन तब तक मेंढकों की संख्या में भारी गिरावट आ चुकी थी। जलाशयों में मेंढकों की संख्या घटी और मच्छर कई गुना बढ़ गये तथा परिणामतः रोगवाहक मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया तथा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां भी पूरे भारत में तेजी से बढ़ने लगीं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मच्छर जनित बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए मेंढकों तथा मच्छर खाने वाली मछलियों की फार्मिंग कर उन्हें नहरों, तालाबों, जलाशयों, नाले-नालियों तथा पानी के स्रोतों में छोड़ने की परियोजना प्रारंभ की जानी चाहिए। साथ ही मेंढकों की टांगों के अवैध निर्यात पर रोक लगायी जानी चाहिए।

(ii) Need to include Madan Mohan Mandir, Karauli, Rajasthan in Krishna circuit

डॉ मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर के करौली जिला मुख्यालय पर स्थित श्री मदनमोहन मंदिर की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ।

श्री मदनमोहन मंदिर कृष्ण भक्तों में श्री गोविन्द देव जी मंदिर, जयपुर के समकक्ष ही श्रद्धेय एवं पूजनीय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री गोविन्द देव जी मंदिर, जयपुर तथा श्री गोपीनाथ जी मंदिर एवं श्री मदनमोहन जी मंदिर करौली के दर्शन एक ही दिन करने पर श्री कृष्ण भगवान की सम्पूर्ण छवि के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं।

करौली के राजा श्री गोपाल सिंह जी, श्री मदनमोहन जी को जयपुर के महाराज से मांग कर करौली लेकर आये तथा राजमहल में प्रतिमा की स्थापना कर विशाल मंदिर क्षेत्र चिन्हित करवा दिया। आज भी बड़ी संख्या में श्री चैतन महाप्रभु को मानने वाले सम्प्रदाय के भक्त बंगाल, उड़ीसा तथा इस्कॉन आन्दोलन से जुड़े श्री कृष्ण के हज़ारों अनुयायी दूर-दूर से राजस्थान आकर इन तीनों मंदिरों के दर्शन एक ही दिन में कर अपने आपको धन्य समझते हैं।

भारत सरकार जब धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण सर्किट का निर्माण कर रही है, तब इस पूर्व निर्मित धार्मिक सर्किट से श्री मदनमोहन जी मंदिर करौली को अलग करना उचित नहीं है। यदि श्री मदनमोहन जी मंदिर करौली को इस सर्किट में शामिल किया जाता है तो इससे जिले में स्थित अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थ जैसे श्री महावीर जी, श्री कैला देवी जी, मेहन्दीपुर बालाजी का भी विकास हो सकेगा। जिससे जिले के विकास को गति मिलेगी।

अतः मेरा केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी से आग्रह है कि कृष्ण सर्किट में श्री मदनमोहन जी मंदिर करौली को भी जोड़ा जाए। सरकार का यह कदम क्षेत्र के स्थानीय तथा बाहर से आने वाले लाखों कृष्ण भक्तों के लिए बहुत हितकर होगा। इससे इस क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

(iii) Need to appoint medical staff in the hospital in village Bakhri in East Champaran district, Bihar

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : नियम 377 के माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर अंतर्गत पूर्वी चम्पारण जिले के पताही प्रखंड के बखरी ग्राम में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति कई वर्ष पूर्व प्राप्त हो चुकी है और भूमि से लेकर भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मैंने भी अपने सांसद ऐच्छिक कोष से एक कमरे का निर्माण कराया है। परन्तु उपरोक्त स्वास्थ्य केंद्र को अभी तक संचालित नहीं किया जा सका है। क्योंकि इसके लिए आवश्यक स्टॉफ की नियुक्ति नहीं हुई है। इस संबंध में चिकित्साधिकारी से लेकर अन्य कर्मचारियों की जल्द नियुक्ति करने के लिए प्रस्ताव भी कई वर्ष पूर्व दिया जा चुका है परन्तु अभी तक चिकित्सक एवं आवश्यक स्टॉफ की नियुक्ति नहीं होना राज्य सरकार का स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। उपरोक्त स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक एवं कर्मियों की कमी से इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जबकि यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है और कई वषों से कई विचित्र प्रकार की बीमारियों का प्रकोप इस क्षेत्र के आस-पास देखा गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनता के व्यापक हित में मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर अंतर्गत पूर्वी चम्पारण जिले के पताही प्रखंड के बखरी ग्राम में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कराकर इसे जल्द संचालित कराने की कृपा करें।

(iv) Need to promote organ donation in the country

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): India is facing a severe shortage of organ donors. 5 lakh people die every year due to non-availability of organs. Every year around 2.5-3 lakh people need liver and kidney transplants and only 2-3% of the organ requirement is met. Only 0.01% people in India pledge their organs. Of the 1.5 crore people suffering from blindness in India, 25% suffer from corneal blindness, which can often be corrected by a cornea transplant. For the annual requirement of 1 lakh corneas only 10,000 corneas are retrieved of which only 30% are used. The rest are wasted because they are not extracted and preserved properly. India lacks proper logistics to transport organs. Organs being transported over long distances become unfit for transplant when they are not preserved properly. There is a need to spread awareness about organ donation and to dispel myths associated with it. There is also a need to set up more organ banks and logistics to collect and preserve organs.

(v)Need to reimburse the amount of scholarship paid to students belonging to backward classes in Maharashtra

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव द्वारा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु केंद्र की ओर से वर्ष 2001-2002 से वर्ष 2013-2014 तक के बीच की अवधि की बकाया 1392.61 करोड़ रूपए की रिम्बर्समेंट राशि को जारी किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं और उक्त राशि को जारी किए जाने हेतु 29 रिमाईंडर लेटर भी प्रेषित किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक यह बकाया राशि जारी नहीं की गयी है। राज्य के पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु बकाया केंद्रीय धन का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अतः मेरा माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु बकाया केंद्रीय धन का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(vi) Need to regularise the services of Para-teachers in Jharkhand and also enhancce their honorarum including BRP and CRP teachers in the State

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : देश में कुल 15 लाख 22 हजार 346 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें झारखंड की संख्या 48,528 हैं। समूचे देश के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। 52 प्रतिशत पाँचवी कक्षा के छात्र सही से दूसरी कक्षा की हिन्दी की किताब तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। 31 मार्च, 2016 को देश में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों 51,81,791 में से (17.51 प्रतिशत) 9,07,585 पद रिक्त हैं। वहीं झारखण्ड में स्वीकृत 1,92,200 पदों में (38.39 प्रतिशत) 73,793 पद रिक्त हैं। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां इकलौते शिक्षक वाले स्कूल न हों। वहीं माध्यमिक स्तर पर कुल स्वीकृत शिक्षकों के 6,44,826 में से (15.91 प्रतिशत) 102575 पद देश के स्कूलों में रिक्त हैं। झारखंड में माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत 22604 पदों में से (71.73 प्रतिशत) 16213 पद रिक्त हैं। देश में हजारों विद्यालय ऐसे हैं जहां पर कोई शिक्षक नहीं है यानि बिना शिक्षकों के विद्यालय जिसका सरकार ने कभी मूल्यांकन भी नहीं किया है। एक शिक्षक के सहारे चल रहे सरकारी विद्यालयों की संख्या भी एक लाख से अधिक है। झारखंड के 7391 विद्यालयों को केवल एक शिक्षक चला रहे हैं।

स्कूलों के अध्यापकों को पढ़ाने के अलावा ढेर सारे दूसरे काम करने पड़ते हैं। अध्यापकों को चुनाव के समय पढ़ाने-लिखाने का काम छोड़कर चुनावी ड्यूटी निभानी पड़ती है। ग्रामीण स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों को तो जनगणना सहित कई तरह के सर्वे आदि में भी शामिल किया जाता है, इसके अलावा उन्हें पंचायत के भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आजादी के बाद कुछ समय तक ऐसा करना शायद जरूरी था, क्योंकि उस समय जिस तादाद में पढ़े-लिखे लोगों की जरूरत थी, उतने उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अब यह मजबूरी नहीं है, इस परम्परा को समाप्त किया जाना चाहिए।

मेरे द्वारा लोक सभा के मानसून सत्र में दिनांक 20 जुलाई, 2016 को झारखंड राज्य में शिक्षकों एवं स्कूलों की कमी तथा पारा शिक्षकों की मांगों का विषय शून्यकाल में उठाया था। झारखंड राज्य में पारा शिक्षक 14-15 वर्षों से काम कर रहे हैं। झारखंड राज्य में लगभग 72000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। झारखंड में पारा शिक्षकों को 10,000 रूपये प्रतिमाह से भी कम वेतन मिलता है। झारखंड के पारा शिक्षकों द्वारा कई महीनों से मानदेय बढ़ाने, नियमित वेतन वृद्धि, समय पर भुगतान करने और स्थायी नियुक्तियों में समायोजन की मांगों को लेकर भूख हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल होती रहती है, जिससे राज्य में बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। समय पर कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। केंद्र सरकार प्रारंभिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) और माध्यमिक स्तर पर

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) के जरिए समुचित छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती हैं। इसी राशि से झारखंड में पारा शिक्षकों को वेतन दिया जाता है। केंद्र सरकार की योजना होने के कारण राज्य सरकार द्वारा पारा शिक्षकों के मानदेय एवं अन्य मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता है।

मेरी भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मांग है कि पारा शिक्षकों सहित बी.आर.पी.-सी.आर.पी. शिक्षकों के मानदेय का निर्धारण सम्मानजनक और शिक्षक पद की गरिमा के अनुरूप हो। साथ ही समय पर भुगतान हो। झारखण्ड में लगभग 72000 पारा शिक्षक हैं, वहीं शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 90000 से अधिक है। इसलिए स्थायी शिक्षकों की भर्ती नियमों में छूट देकर या सरल कर सभी योग्य पात्रता वाले प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का समायोजन किया जाए, जिससे शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जा सके और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। शिक्षा में गुणवत्ता की कमी को दूर किया जा सके। झारखंड के दयनीय शिक्षा परिदृश्य में अविलंब सुधार हेतु केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय शीघ्रातिशीघ्र पहल करें।

(vii) Need to upgrade railway stations in Jalgaon Parliamentary Constituency as model railway stations

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : रेलवे हर साल देश में रेलवे स्टेशनों का विकास करने के लिए और आम जनता को अच्छी सुविधा देने के लिए कुछ रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा करती है। लेकिन उन स्टेशनों के विकास करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाते हैं। इस वजह से सालों से मॉडल स्टेशन बनाने की घोषणा के बाद भी उसका कोई विकास नहीं हो रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र जलगाँव में भी पाँच, छः सालों से कुछ रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशन बनाने की घोषणा की गयी है जैसे कि जलगांव, चालीसगांव, धारणगांव, पचारो और अलमनेर स्टेशनों का विकास करने की बात थी लेकिन अभी तक इन स्टेशनों का प्लान तक नहीं बन पा रहा है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस कार्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि वे व्यक्तिगत रूप से इस विषय पर ध्यान दें और इन सभी रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशनों के रूप में विकसित करने की दिशा में तत्काल संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दें और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में मेरी मदद करें।

(viii) Need to provide necessary and adequate resources to trainee Archers of Shivtarai village, Kota Tehsil, Bilaspur in Chhattisgarh

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर) : छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर अंतर्गत कोटा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य ग्राम शिव तराई से करीब 65 लोगों को तीरंदाजी में राजकीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में 35-40 लड़के एवं लड़कियाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। संसाधन के अभाव में प्रशिक्षणार्थियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर केंद्र सरकार की ओर से प्रशिक्षण संबंधी साधन मुहैया कराया जाता है तो शिव तराई (कोटा क्षेत्र) के तीरंदाज खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर पाने में सक्षम होंगे।

मेरा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जी एवं जनजातीय कार्य मंत्री जी से आग्रह है कि उक्त क्षेत्र को संज्ञान में लेकर दोनों मंत्रालय द्वारा ग्राम शिव तराई के प्रतिभावान भावी खिलाड़ियों के लिए अतिशीघ्र आवश्यक संसाधन मुहैया कराये जाये जो राष्ट्रहित में होगा।

(ix) Need to set up a 'Rashtriya Sanskritik Ved Shodh Evam Adhyyan Kendra' as well as a branch of Rashtriya Sanskrit Shiksha Sansathan and Banaras Hindu Vishwavidyalaya in Buxar, Bihar

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : मेरा संसदीय क्षेत्र बक्सर जो प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर के रूप में सुविख्यात पुराणों में वर्णित "व्याघ्रसर " महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। यह साधू-सन्तों एवं ऋषि-मुनियों की साधना केन्द्र रही है। मर्यादा पुरूषोत्तम राम के बाल्य काल की यह "शिक्षा-दीक्षा भूमि " (प्रशिक्षण स्थल) के रूप में सुप्रसिद्ध है, जहां महर्षि विश्वामित्र के सान्निध्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर ताड़िका सुर का वध भगवान राम के हाथों त्रेता युग में हुआ था।

अतएव केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अपने प्राचीन शास्त्र , वेद, ग्रन्थों आदि के शोध एवं अध्ययन हेतु "राष्ट्रीय सांस्कृतिक वेद शोध एवं अध्ययन केन्द्र " की स्थापना की जाये। साथ ही "राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संस्थान " की शाखा, जो सभी राज्यों में होता है बिहार में इसकी शाखा नहीं है। अतएव बिहार राज्य के बक्सर में, जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, यहाँ "राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संस्थान " का एक केन्द्र भी खोला जाये। इसके साथ-साथ "काशी हिन्दू विश्वविद्यालय " का एक उपकेन्द्र भी यहाँ स्वीकृत किया जाये, जिससे हजारों छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु सुविधा प्राप्त हो सके।

(x) Need to address the problem of unemployment in the country

श्री हरीश मीना (दौसा) : देश के युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, बेरोज़गारी की दर लगातार नई ऊंचाई को छूती रही है। अगर यही स्थिति रही तो 65 प्रतिशत युवाओं के देश में यह समस्या बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है।

अभी हाल ही में हमारे देश में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने वर्ल्ड बैंक द्वारा किए गए एक अनुसंधान का संदर्भ देते हुए बताया कि भारत के स्वचालन से 69 प्रतिशत नौकरियों का खतरा है, जिसके लिए सरकार को अभी से कदम उठाने चाहिए।

नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एन.एस.एस.ओ.) की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र लगभग 53 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है। जबकि सरकारी नौकरी केवल 2 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र लगभग 34 प्रतिशत व बाकी क्षेत्र 9 प्रतिशत व्यवसाय रोज़गार प्रदान करते हैं।

कृषि जो 53 प्रतिशत रोज़गार प्रदान करता है उस रोजगार में कब बे-मौसम बारिश, ओले या सूखा पड़ जाये कोई नहीं जानता। केवल कृषि पर निर्भर रहना मुश्किल होता जा रहा है। हर वर्ष लाखों किसान आत्महत्या या पलायन करते हैं। कृषि की इस स्थिति को देखकर युवा, कृषि क्षेत्र को रोज़गार का साधन बनाने में संकोच करते हैं। सरकार को कृषि पर जोर देना चाहिए जिससे युवा कृषि की तरफ अग्रसर हो।

देश में औद्योगिक विकास भी जरूरी है, औद्योगिक विकास से हम विकसित देशों में शामिल हो सकते हैं। सरकारों को न केवल स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा बल्कि युवाओं को भरोसा दिलाना होगा कि सरकार उन्हें रोज़गार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी नौकरी एक व्यवस्थित जीवन प्रदान करती है इसीलिए ज्यादातर युवा इसके पीछे है।

देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन पुरूषों के मुकाबले महिलाएं काफी पीछे हैं। ऐसे में उनको आगे करने के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। ताकि वो भी रोजगार पाकर बेहतर समाज और विकसित देश के निर्माण में मजबूती के साथ हाथ बटा सकें।

अंत में, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे युवाओं को बेहतर रोजगार दिलाने के लिए अधिक से अधिक मौके उपलब्ध करवाएँ

(xi) Need to set up a separate Ministry for Fisheries and Fishermen Welfare

श्री अजय निषाद (मुज़फ्फरपुर) : आजादी के 68 वर्ष होने जा रहे हैं लेकिन देश के विभिन्न भागों में परम्परागत रूप से मछली मारने वाले लगभग पांच करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला मछुआरा समाज आज भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ा है। साथ ही आर्थिक रूप से भी काफी कमजोर है। मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने एवं फिशरमैन की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में मत्स्य-पालन एक एलाइड डिपार्टमेंट है। बावजूद इसके मछुआरा समाज उन लाभों और सुविधाओं से वंचित रहता है, जिसका फायदा आम किसान को होता है। ऐसा देखा गया है कि प्राकृतिक आपदा के समय अभी एग्रीकल्चरल सेक्टर के अलावा दूसरे फार्म होल्डर, पोल्ट्री फार्म आदि का बैंक लोन माफ होता है लेकिन दुर्भाग्यवश मछुआरा समाज यहां भी उपेक्षित होता रहा है।

मैं सरकार का ध्यान मछुआरा समाज की देयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करते हुए मांग करना चाहूंगा कि मछुआरा वर्ग के सर्वांगीण विकास के मद्देनज़र भारत सरकार में मत्स्य एवं मत्स्य कल्याण का एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिए साथ ही उनके आर्थिक उन्नयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की अति आवश्यकता है।

(xii) Need to provide financial support to the artisans of Balaramapuram in Kerala

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): The town of Balaramapuram, in Kerala is well known throughout the country for quality textiles and crafts produced there. This is a source of pride to the local community and to me, personally, as their representative in Parliament.

However the community needs a comprehensive financial package that would provide loan wavers to alleviate the burden of debt, to overhaul infrastructure, to improve working conditions for the artisans through the inclusion of Balaramapuram in the Mega Cluster initiative. The urgent financial and technical support the scheme offers, coupled with the immense potential benefit to SMEs through training with assistance from the Ministry of Human Resource Development is the best way to ensure that next generation of artisans improve their livelihoods.

I, therefore, urge the Government to urgently provide the immediate loan waiver support and to include Balaramapuram as part of the Mega Cluster Scheme.

(xiii) Need to evolve a strategy to curb pollution level

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): The capital city of Delhi continues to be one of the most polluted cities in the world. Recent studies show that because of this high pollution, normal life of citizens has become impossible. Pollution causes chronic and fatal diseases such as asthma, pulmonary diseases, acute eye and ear infection and is said to even lead to cancer. Healthcare experts have warned about the grave consequences of this high level of pollution. Cities in Kerala like Kochi and Kozhikode as also several major cities across the country have also of late become highly polluted. I urge upon the Union Government to address the issue on war footing and convene a meeting of stakeholders including State Governments to evolve a strategy to save the environment.

(xiv) Need to set up a Sanskrit University at Khanakul in Arambag Parliamentary Constituency of West Bengal

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): The foundation of Indian culture is based on the Sanskrit language. There is a misconception that it is only a language for chanting mantras in temples which is less than 5%. More than 95% of the Sanskrit literature deals with philosophy, law, science, literature, grammar, phonetics etc. Sanskrit was the language of our scientists in ancient India.

From Raja Ram Mohan Roy to Mahatma Gandhi everyone was inspired by the language. As the birth place of Raja Ram Mohan Roy is in my Arambagh Parliamentary constituency in Khanakul, I urge the Ministry of Human Resource Development to establish a Sanskrit University there.

(xv) Regarding rising level of air pollution in the Country

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Rising level of air pollution is one of the most pressing public health disasters of our time, We are suffering from a state of air-emergency. Actions cannot be geared towards desperate short-term rewards.

Countries like China that have had similar problems have taken various steps to control the rising pollution. China has instituted a broad, regionally coordinated system of air pollution monitoring, installed high-tech pollution abatement equipment on a majority of its power plants, as well as devised means to restrict car ownership in mnjor cities. It has also developed a network of 1,500 air quality-monitoring stations in over 900 cities (India has only 39 such stations covering 23 cities). 95% of China's power plants have pollution filters and it is 10% in India.

I urge upon the Government to come up with time-targeted plans, comprehensive schemes and invest in ensuring basic human right of access to clean air.

(xvi) Need to permit diversion of forest land to State Government PSUs in lieu of afforestation in twice the degraded land as applicable to Central PSUs

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): The Central Government has allowed compensatory afforestation in twice the area of degraded forest lands for diversion of forest lands for non forest purposes for the project of Central Government Undertakings. However, this dispensation has not been allowed for the project of State Government undertakings. The OMC is facing difficulties in identifying vegetation-free non forest land for compensatory afforestation, which is affecting its mining operations. Central Government has not conceded to the request of the State Government to allow compensatory afforestation in twice the degraded forest land for State PSUs as allowed for Central PSUs.

(xvii) Need to provide rehabilitation package to farmers of Nhava and Sheva villages affected by Jawahar Lal Nehru Port Trust, Mumbai.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : मैं सरकार का ध्यान जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, भारत सरकार का एक बहुत ही लाभदायक पोर्ट है।

सिड्को ने नावा सेवा गाँव की जमीन, जे.एन.पी.टी. बनाने हेतु अधिग्रहण की और गाँव वासियों को विस्थापित करते समय यह वादा किया गया कि गाँव वासियों को 23 हैक्टेयर जमीन ग्राम विकास के लिए दी जाएगी और स्थानीय किसानों को यह भी वादा किया गया कि अधिग्रहण की गई कुल जमीन का 12.5 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय को लौटाया जायेगा।

माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात् उनका पहला कार्यक्रम जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में हुआ था और इस कार्यक्रम में पांच स्थानीय किसानों को जमीन वापसी का पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था लेकिन अब जिले के कलेक्टर का कहना है कि यह पत्र गलत थे और अब स्थानीय किसानों को किसी तरह की भी जमीन नहीं दी जा रही है, जिसके कारण परियोजना से प्रभावित लोग और स्थानीय किसान अपने अधिकारों हेतु आन्दोलन कर रहे हैं।

अतः मैं सरकार से उक्त विषयों पर ठोस कदम उठाने एवं किये गये वादे के मुताबिक नवा सेवा इन दोनों गाँवों को 23 हैक्टेयर व 12.5 प्रतिशत जमीन विस्थापित किसानों को तुरन्त दिए जाने की माँग करता हूँ।

(xviii) Need to review the Employees' Pension Scheme, 1995

SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM): The retired employees of Public and Private Sector Undertakings organizations covered by Employees Provident Fund Pension Scheme - 1995 are facing severe hardships due to non-revision of EPF pension for the last 17 years.

In fact, pension is basically a social security to ensure a steady income to the retired employees to lead rest of their life peacefully as they are no longer in a position to earn income The Government Employees covered under GPF are getting a pension equivalent to 50% of their last drawn basic pay + DA benefits every 6 months time.

In case of employees working in Public & Private sector undertakings, only a meager amount of pension ranging from Rs.100/- to Rs. 1800/- p.m. has been provided depending on their service rendered under Employees Pension Scheme 1995 from 16/11/1995 onwards and it has not been revised for the past 17 years.

EPF authorities are considering the service from 16.11.1995 and calculating the pension ignoring the past service. Due to which the EPS 1995 pensioners are losing 50% of pension amount as against Rs. 5250 p.m. maximum. Further, I would like to draw the attention of the august House that the Government is kind enough to pay pension to old age people around Rs.500/- p.m. and freedom fighters and others too, more than Rs.10,000/- p.m. but, whereas the employees who worked for more than 30-40 years are being paid only Rs.100/- to Rs. 2,000/- p.m. depending on their service. Because of this, there is widespread resentment among retired employees against EPS Act, 1995.

Earlier, the committee of EPF had fixed a maximum pension of Rs. 3250/- in the year 1995. The same was not revised for last 17 years and there is a demand to revise it every 5 years with a minimum pension to be fixed at Rs 10,000/- p.m. without any limitation to maximum pension.

The revision of pension & payment of DA is to be done as and when the pay of Central Government Employees is revised apart from medical facility of Rs. 2,00,000/- is to be provided to all the employees of EPS, 1995. Pension contribution is also to be raised by Rs 20,000/- p.m. to get increased pension.

I, therefore, urge upon the Government to consider the issue of revision of pension to EPS 1995 pensioners on humanitarian grounds.

(xix) Regarding proposed speciality health services in Lakshadweep

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): In the field of health, Lakshadweep Administration has proposed to outsource speciality services at IGH Kavaratti, GH Minicoy CHC Andrott and CHC Amini. A detailed proposal with financial remarks to exchequer has been submitted to the Ministry for kind consideration.

It is, therefore, requested that the proposal put forward by UTL Administration for PPP agreement on the said healthcare units may kindly be considered.

(xx)Need to give recognition to four-year integrated B.A., B.Ed./B.Sc., B.Ed. programme of Central University of South Bihar by National Council of Teacher Education.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैं दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय गया के शिक्षा विभाग के बी.ए.-बी.एड. और बी.एस.सी.-बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) में पढ़ रहे (सत्र 2014-17 तथा 2015-18) विद्यार्थियों की समस्या से संबंधित विषय के बारे में बताना चाहता हूँ।

दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद इस विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम शुरू किया गया जिसके तहत बहुत सारे विद्यार्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन करवाया, जिसमें बी.ए.-बी.एड. और बी.एस.सी.-बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) में भी बहुत विद्यार्थियों ने नामांकन करवाया और पढ़ाई के काफी दिनों बाद विद्यार्थियों को ज्ञात हुआ कि बी.ए.-बी.एड. और बी.एस.सी.-बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता नहीं मिली है, जिसके फलस्वरूप इस कोर्स में पढ़ने वाले करीब हज़ारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है तथा विश्वविद्यालय से इस संबंध में सिर्फ मौखिक आश्वासन ही मिला है। ऐसी परिस्थिति में अध्ययनरत विद्यार्थी मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं तथा अभिभावक एवं समाज की अपेक्षा को पूरा कर पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। देश में कई शिक्षण संस्थानों की स्थिति इसी तरह की है जैसे इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, कटक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, गुजरात, डॉ. हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर तथा झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के छात्र भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति से छात्र पशोपेश में हैं एवं उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उपरोक्त सभी संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों को मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से दी जाये ताकि छात्रों का भविष्य उज्ज्वल हो सके।

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Hon. Chairperson Sir, I would like to submit that for the last two weeks, the Members are requesting that there should be a debate on demonetization of currency… (*Interruptions*) the crusade against corruption; crusade against black money and crusade against everything and therefore, I would request you to commence the debate under Rule 193… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. As the hon. Minister has requested, the debate should start now.

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, I would request you to kindly start the debate… (*Interruptions*)

<u>14.02 hours</u>

<u>DISCUSSION UNDER RULE 193</u>
Demonetisation of currency notes to weed out black money

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhartruhari Mahtab – Not present

Shri A.P. Jithender Reddy.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Mr. Chairperson Sir, the intention of the hon. Prime Minister for curbing black money, corruption, fake money and terrorism in the country is welcome… (*Interruptions*)

<u>14.03 hours</u>

(*At this stage, Shri K. C. Venugopal, Shri N.K. Premachandran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Sir, the hon. Chief Minister of Telengana State, Shri K. Chandrasekhar Rao on Monday has fully endorsed the demonetization policy implemented by the Centre and extended his whole-hearted support to it … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing except, what Shri A.P. Jithender Reddy, will go on record.

... *(Interruptions)**

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : However, he appealed to the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi to work towards eradicating the evil of black economy in toto and in all its forms. … (*Interruptions*) He also urged the hon. Prime Minister to take measures to mitigate the sufferings of the people in general and informal, unorganized and agriculture sector in particular and provide some exemptions to the common man to withstand the hardships caused by the demonetization and non-availability of enough of currency in small denominations… (*Interruptions*)

* Not recorded

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, the way they are obstructing my dear friend's speech is not at all appreciated.… (*Interruptions*)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Sir, please bring the House to order. Only then the discussion can start.… (*Interruptions*) Sir, I request you to bring the House to order.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again on Tuesday, the 6th December, 2016, at 11 a.m.

14.06 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 6, 2016 / Agrahayana 15, 1938 (Saka).